तमसो मा ज्योतिर्गमय

शिक्षा सारथी

विद्यालय शिक्षा विभाग, हरियाणा की मासिक पत्रिका

वर्ष- 12, अंक - 6-7, मई-जून 2024 , मूल्य-15 रु

schooleducationharyana.gov.in | shikshasaarthi@gmail.com

पढ़ाई से पहले हो नौनिहालों की सुरक्षा की चिंता

"बचाव एवं सुरक्षा स्वतः ही संभव नहीं हैं, वे सामूहिक सहमति और सार्वजनिक निवेश का परिणाम हैं। हमें अपने बच्चों को, जो कि समाज के सबसे कोमल और कमज़ोर नागरिक हैं, एक यातना और भय से मुक्त जीवन देना ही है।

-नेल्सन मंडेला

तमसो मा ज्योतिर्गमय

शिक्षा सारथी

मई-जून 2024

प्रधान संरक्षक
नायब सिंह
मुख्यमंत्री, हरियाणा

संरक्षक
सीमा त्रिखा
शिक्षा मंत्री, हरियाणा

मुख्य संपादक
डॉ. जी. अनुपमा
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
विद्यालय शिक्षा विभाग, हरियाणा

संपादकीय परामर्श मंडल
डॉ. आर.एस. ढिल्लों
महानिदेशक,
मौलिक शिक्षा, हरियाणा

जितेंद्र कुमार
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक,
हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद

डॉ. ऋचा राठी
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा

संपादक
डॉ. देवियानी सिंह

उप-संपादक
डॉ. प्रदीप राठौर

डिजाइन एवं प्रिंटिंग
हरियाणा संवाद सोसायटी

मूल्य: 15 रुपये, **वार्षिक:** 150 रुपये

Published & Printed by Ajit Singh on behalf of President, Shiksha Lok Society-cum-Director General Secondary Education, Haryana. Published from office of Director General Secondary Education, Haryana, Plot No. 1-B, Shiksha Sadan, Sector - 5, Panchkula.

Printed by M/ s. J.K. Offset Graphic Pvt. Ltd. at its printing press B-278, Okhla, Industrial Area, Phase -I, New Delhi-110020

Editor: Dr. Deviyani Singh.

"समाज की सुरक्षा तभी सुनिश्चित की जा सकती है, जब बच्चों के बचपन को सुरक्षित किया जाए"

- नौनिहालों के लिए सुरक्षित हों स्कूल बसें 5
- कनीना बस दुर्घटना : जिम्मेदार कौन ? 8
- बच्चों की सुरक्षा में हमारी भूमिकाएँ 12
- जानिये स्कूल सुरक्षा समितियों के कार्यक्षेत्र 17
- कैसे बनें विद्यालय परिसर सुरक्षित ? 18
- कैसे बचें नौनिहाल यौन शोषण से ? 20
- साइबर खतरों से बच्चों का बचाव 22
- बच्चों को दें आत्मरक्षा प्रशिक्षण 24
- कानूनी साक्षरता भी है ज़रूरी 25
- आग-दुर्घटना से कैसे निपटें ? 28
- सड़क-सुरक्षा का पाठ पढ़ाना भी आवश्यक 30
- हमारी सोच से कहीं अधिक क्षमता होती है हममें 31
- Conquer the world by your wisdom... 32
- Engaging Summer Vacation Activities for Children 33
- May Day 36
- Rabindranath Tagore 38
- The Child-Angel 40
- Ode, Composed On A May Morning 41
- Summer Diseases 42
- Buddha Purnima 44
- Maya's Magical Garden 46
- Amazing Facts 48
- General Knowledge 49

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में लेखकों की निजी राय हो सकती है। यह आवश्यक नहीं कि विभाग उनसे सहमत हो।

संस्कार के बिना शिक्षा अधूरी जीवन में पेड़-पौधे भी जरूरी

मेरे प्रिय विद्यार्थियो!

सर्वप्रथम मैं आप सभी को नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश करने पर बधाई एवं शुभकामनाएँ देती हूँ। शिक्षा बोर्ड की दसवीं और बारहवीं कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को भी शुभाशीष।

परीक्षाओं में जो विद्यार्थी किसी कारण से उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, उनको हताश-निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि वे खुद को नई चुनौतियों के लिए तैयार करें। मुझे विश्वास है कि आप अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम होंगे। देश और दुनिया में कई ऐसे उदाहरण है कि जो विद्यार्थी किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए थे और फिर नए संकल्प के साथ शुरुआत करके सफलता की बुलंदियों को छूने में कामयाब हुए हैं। असफलताओं से कभी हार न मानें, बल्कि कड़ी मेहनत करते रहें। क्योंकि तकनीकी दौर में हमारा नया भारत आपको आगे बढ़ने के अनेक अवसर देने की प्रतीक्षा कर रहा है।

प्रिय विद्यार्थियो ! मेरी आपसे अपील है कि शिक्षा ग्रहण के साथ-साथ आपके अन्दर परिवार, समाज और देश की मिट्टी, संस्कृति और संस्कारों का अनूठा संगम हो । जहाँ एक तरफ ईश्वर एवं प्रकृति में आस्था हमें मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक रूप से मज़बूत करती हैं वहीं दूसरी ओर माता-पिता एवं गुरुजन हमारे जीवन के मार्गदर्शक व सहायक होते हुए साक्षात ईश्वर का रूप होते हैं। नया भारत, आज का भारत अपने युवाओं को स्वाभिमान से आईना देखने की ताकत देता है।

प्रिय विद्यार्थियो ! आपके ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो चुके हैं। इस दौरान आप शिक्षकों द्वारा दिया हुआ गृह-कार्य पूरा करेंगे, हो सकता है कि परिवार के सामर्थ्य के अनुसार गर्मी और लू से बचने के लिए कुछ दिन कहीं घूमने का कार्यक्रम भी बनायें।

मैं आपको अपनी ओर से 'एक काम, हरियाणा के नाम' सौंपती हूँ। इस बढ़ती गर्मी, लू और ग्लोबल वार्मिंग को दूर करने में आपका यह कदम बहुत सहायक सिद्ध होगा। आप अपने दादा-दादी, नाना-नानी के साथ घर के आस-पास एक बड़, पीपल, पीलकन या अन्य कोई वृक्ष अवश्य लगायें। इसकी फोटो को अपने माता-पिता की फेसबुक आईडी पर अपलोड करें। इसके साथ ही 'एक काम, हरियाणा के नाम' कैप्शन लिख दें।

एक नन्हीं सी आशा...उज्ज्वल हरियाणा और आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए।

आपकी अपनी

सीमा त्रिखा

(सीमा त्रिखा)

शिक्षा मंत्री, हरियाणा

नौनिहालों के लिए सुरक्षित हों स्कूल बसें

ताकि भविष्य में कभी न हो कनीना जैसा कोई हादसा

डॉ. प्रदीप राठौर

बीते दिनों कनीना, महेंद्रगढ़ के स्कूल बस हादसे ने हर किसी को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। इस दुर्घटना में कई मासूम बच्चों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि बस में 43 बच्चे सवार थे। हादसे में छह बच्चों की मौत हो गई जबकि 15 गंभीर रूप से घायल हो गये। चालक कथित रूप से नशे की हालत में था। निश्चित रूप से यह स्कूल प्रबंधकों की बहुत बड़ी लापरवाही है। मृतक विद्यार्थियों में वंश सुपुत्र श्री दुष्यंत (नौवीं), रिकी सुपुत्र श्री रवींद्र (आठवीं), अंशु सुपुत्र श्री संदीप कुमार (दसवीं), यक्षु सुपुत्र श्री संदीप कुमार (सातवीं), युवराज सुपुत्र श्री संजय (नौवीं) व सत्यम शर्मा सपुत्र श्री राकेश शर्मा (बारहवीं) शामिल हैं। इनमें से चार झारली गाँव के और दो धनुंडा गाँव के थे। हादसे के समाचार ने पूरे देश को दहला कर रख दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख जताया व दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। परिवहन मंत्री ने सभी जिलों में स्कूली वाहनों की जाँच के आदेश दिये। जाँच में बहुत सी ऐसी बसें मिलीं, जो नियमों का पालन नहीं कर रही थीं। बहुतों के चालान काटे गए, बहुतों को इम्पाउंड किया गया। विद्यालय शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ.जी.अनुपमा ने स्पष्ट कहा कि बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।

ऐसे हादसों से हमें सीख लेने की आवश्यकता है। जिन घरों के चिराग बुझ गए हैं, उनके प्रति हम हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। हम सभी को बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीरता व संवेदनशीलता से सोचते हुए ऐसे कदम उठाने होंगे ताकि ऐसी दुःखद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बच्चे राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति हैं अतएव इनकी सुरक्षा सर्वोपरि है।

क्या कहते हैं विभाग के निर्देश-

विभाग द्वारा 'रेगुलेशन्स ऑन स्कूल सेफ्टी' के अन्तर्गत 2017 में स्कूल बसों के लिए निर्देश जारी किए थे, विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए जिनका पालन करना अत्यावश्यक हैं। आइये, हम इन्हें ध्यान से पढ़कर देखें कि क्या वास्तव में हमारे स्कूल इनका पालन कर रहे हैं-

स्कूल बसें पीले रंग की हों, उन पर 'स्कूल बस' शब्द, स्कूल का नाम और रूट नंबर स्पष्टता से प्रदर्शित होना चाहिए। आगे और पीछे रिफलेक्टिव टेप लगी होनी चाहिए। पीछे रिफलेक्टर भी लगे होने चाहियें। बसों में शीशों पर पर्दे या काली फिल्में नहीं होनी चाहिए। बस की आंतरिक गतिविधियाँ बाहर से स्पष्ट दिखाई देनी चाहिएं। बसों के पास वैध फिटनेस प्रमाण पत्र, प्रदूषण और बीमा प्रमाण-पत्र होना चाहिए। बसों की खिड़कियों पर क्षैतिज ग्रिल होनी आवश्यक हैं। बसों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। हॉर्न ठीक हालत में हों। हैड-लाइट, बैक-लाइट तथा इंडिकेटर सही अवस्था में हों। वाइपर भी चालू हालत में होने चाहिए। ब्रेक एकदम सही होने चाहिए तथा एमरजैंसी टायर भी ठीक हालत में होना चाहिए। बसों में स्पीड-गवर्नर होने चाहिएं और उन्हें निर्धारित से अधिक गति से नहीं चलाया जाना चाहिए। बसों में क्षमता और परमिट के अनुसार निर्धारित संख्या

सुरक्षा की मानक संचालन प्रक्रिया का पालन आवश्यक

शैक्षणिक संस्थान के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है- ''एक अच्छा शैक्षणिक संस्थान वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत और देखभाल की जाती है, जहाँ एक सुरक्षित और प्रेरक सीखने का माहौल मौजूद होता है, जहाँ सीखने के अनुभवों की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश की जाती है, और जहाँ सीखने के लिए सभी छात्रों के लिए अच्छा भौतिक बुनियादी ढाँचा और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध होते हैं। इन गुणों को प्राप्त करना प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए।'' संविधान का अनुच्छेद 21 और 21ए बच्चों को जीवन, स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। अतः हम सभी का सामूहिक दायित्व बन जाता है कि हम अपने विद्यालयों में न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, बल्कि विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित वातावरण भी सुनिश्चित करें। स्कूलों में होनी वाली दुर्घटनाएँ, दुर्व्यवहार, हिंसा, उत्पीड़न, शोषण, यौन-अपराध आदि पर काबू पाने के लिए सुरक्षा की मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। सुरक्षा मुद्दों पर पर्यवेक्षण, पुनःअभिमुखीकरण और जागरूकता का फैलाव भी इस संबंध में अपेक्षित है।

डॉ. आर.एस. ढिल्लों
सचिव, हरियाणा सरकार
मौलिक शिक्षा विभाग

से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए।

बसों में कुशल ड्राइवर और कंडक्टर होने चाहिए। ड्राइवर के पास भारी वाहन चलाने के न्यूनतम पाँच वर्ष के अनुभव के साथ वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके पास किसी भी यातायात अपराध या चालान का कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। उसे सभी यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने और सुरक्षित ड्राइविंग की आदतें अपनाने के सख्त निर्देश दिए जाने चाहिए। स्कूल बस पर लापरवाही वाली ड्राइविंग के मामले में फीडबैक के लिए बस प्रभारी के साथ-साथ स्कूल प्रिंसिपल/ एडमिन हेड के वैध टेलीफोन नंबर और ई-मेल आईडी अंकित होनी चाहिए। यदि नंबर बदल जायें तो इन्हें अपडेट करना चाहिये। यदि बस विद्यालय की अपनी न होकर अनुबंधित है, तो भी यह जानकारी प्रदर्शित की जानी चाहिए। इसके अलावा बस के भीतर व बाहर पुलिस, चाइल्ड हैल्पलाइन जैसे नम्बर भी लिखे होने चाहिए। बस में सीसीटीवी कैमरे तथा जीपीएस भी चालू अवस्था में होना चाहिए। स्कूल बस प्रभारी को बस के सीसीटीवी फुटेज देखकर यह सुनिश्चित करते रहना चाहिए कि बस को हर समय केवल अधिकृत ड्राइवर द्वारा ही चलाया जा रहा है। उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी ड्राइवर हर छह महीने में एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग सेशन में भाग लें।

यदि कहीं से विद्यालय में यह शिकायत प्राप्त होती है कि ड्राइवर खतरनाक ड्राइविंग कर रहा है तो शिकायत के आधार पर की गई कार्रवाई की सूचना तीन दिनों में शिकायत करने वाले को दी जानी चाहिए। ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए इनकी समीक्षा स्कूल प्रशासकों द्वारा शीघ्रता से की जानी चाहिए। अगर आवश्यक हो तो ड्राइवर/ कंडक्टर के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसमें खतरनाक ड्राइविंग के मामले के लिए ड्राइवर को सेवाओं से हटाना भी शामिल हो सकता है।

यदि किसी कारणवश स्कूल समय के दौरान माता-पिता/अभिभावक के अलावा कोई व्यक्ति किसी बच्चे (जो आमतौर पर बस का उपयोग करता है) को अपने साथ ले जाने का अनुरोध करता है, तो इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि इसे माता-पिता ने अधिकृत न किया हो। यदि किसी कारणवश माता-पिता स्वयं आते हैं तो इसके लिए उचित प्रक्रिया अपनाई जाये। बस-इंचार्ज गेट-पास जारी करे, जो गेट पर दिया जाये।

जिस स्थान पर बच्चों को स्कूल में बसों से उतारा जाता है वहाँ से उन्हें स्कूल परिसर तक सुरक्षित रास्ता मिलना चाहिए। अच्छा तो यही है कि बस को परिसर की चारदीवारी के भीतर रोकना चाहिए। यदि किसी कारण से ऐसा संभव नहीं तो ड्रॉप पॉइंट से स्कूल गेट तक बच्चों को सुरक्षित ले जाने के लिए स्कूल गार्ड मौजूद होने चाहिए। वे गार्ड यह भी सुनिश्चित करें कि बस से सभी बच्चे उतर चुके हैं। इसी प्रकार छुट्टी के समय, कक्षा

केजी से दूसरी तक के छोटे बच्चों को किसी विद्यालय कर्मचारी द्वारा एक समूह में स्कूल बस तक ले जाना चाहिए।

बस चालक को हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बस चलने से पहले बस के दरवाज़े बंद कर दिए जायें तथा बच्चों को ठीक प्रकार से बैठा दिया जाए। बसों के रूट की योजना इस प्रकार बनाई जाये कि बच्चों को उनके निवास स्थान के यथासंभव निकट छोड़ा जाये। यह भी देखा जाये कि बस में सवार होने वाली पहली और उतरने वाली आखिरी सवारी लड़की न हो।

प्रत्येक बस में एक महिला शिक्षक और एक महिला सहायक मौजूद होनी चाहिए। बस में पहले विद्यार्थी के चढ़ने से लेकर अंतिम विद्यार्थी के उतरने तक उनकी उपस्थिति आवश्यक है। यात्रा की शुरुआत और प्रस्थान के समय बस के प्रभारी शिक्षक द्वारा उस मार्ग के सभी बच्चों की उपस्थिति ली जानी चाहिए।

स्कूल बसों के स्टॉप ऐसे स्थान पर होने चाहिए जिससे अन्य यातायात बाधित न हो। भीड़भाव वाले स्थान पर न केवल दूसरों को असुविधा होती है, बल्कि बच्चों के लिए भी खतरा बढ़ जाता है। जब बच्चे, विशेष रूप से पाँचवीं कक्षा और उससे नीचे के बच्चे, अपने घरों के पास बस स्टॉप पर उतरते हैं, तो यह जरूरी है कि उन्हें सड़क पर अकेला न छोड़ा जाए, बल्कि उन्हें केवल माता-पिता/नौकर-नौकरानी या अधिकृत प्रतिनिधि को पहचान-पत्र दिखाने पर सौंपा जाना चाहिए। जब सभी बच्चों को उनके स्टॉपेज पर उतार दिया जाये, तो महिला शिक्षक या महिला अटैंडेंट, जो सबसे बाद में उतरती है, को बस-प्रभारी को यह रिपोर्ट करनी चाहिये कि सभी बच्चों को सुरक्षित रूप से उतार दिया गया है। बस-प्रभारी को नियमित रूप से जीपीएस ट्रैकिंग की निगरानी करनी चाहिये। उक्त के अलावा भी यदि विभाग द्वारा इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किये जायें, उनकी भी अनुपालना की जानी चाहिए।

स्कूल बस से न आने वाले बच्चों की सुरक्षा-

कुछ विद्यार्थी ऐसे वाहनों द्वारा विद्यालय में आते हैं जिन्हें उनके अभिभावकों ने स्वयं किराये पर लिया हो। ऐसे वाहनों द्वारा यदि नियमों का उल्लंघन करके बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डाला जाता है तो इसके बारे में अभिभावकों को यातायात-पुलिस से संपर्क करना चाहिए। जो विद्यार्थी स्कूल बस के अलावा अन्य किसी साधन से विद्यालय आते हैं या उनके माता-पिता उन्हें स्वयं छोड़ने-लेने आते हैं, को भी उनके अभिभावकों को सुरक्षित सौंपने की जिम्मेदारी स्कूल की है। पाँचवीं या उससे छोटी कक्षाओं के बच्चों को अकेले स्कूल परिसर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, उनके माता-पिता या अधिकृत प्रतिनिधि का पहचान-पत्र देखने के बाद उन्हें परिसर के भीतर निर्दिष्ट स्थान से बच्चों को सौंपना चाहिए। जो माता-पिता प्रतिदिन अपने बच्चों को लेने आते हैं तथा किसी दिन विशेष कारण से नहीं आ पाते तो उनका कर्तव्य है कि वे स्कूल शिक्षक या एडमिन इंचार्ज को एसएमएस या फोन के माध्यम से सूचित करें या फिर बच्चे के माध्यम से नोट भेजकर या डायरी में लिखकर इसकी पूर्व सूचना दें। फिर वे किसी अन्य व्यक्ति को अपने बच्चे को ले जाने के लिए अधिकृत कर सकते हैं, जिसके पास पहचान-पत्र होना चाहिए।

यदि स्कूल समय के दौरान किसी आपात स्थिति के कारण बच्चे को लेने का अनुरोध किया जाता है, तो ऐसे निकास की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए यदि वह व्यक्ति स्वयं माता-पिता/अभिभावक नहीं है, भले ही उनके पास पहचान पत्र हो, जब तक इसे माता-पिता द्वारा सत्यापित न किया गया हो। यदि वह व्यक्ति ड्राइवर/नौकर-नौकरानी या कोई अन्य रिश्तेदार है, तो ऐसे पिक-अप की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब स्कूल ने माता-पिता के साथ इसे सत्यापित कर लिया हो।

जब डिसपरसल एरिया से सभी विद्यार्थी ले जाये जा चुके हों, तभी स्कूल गार्ड को वह क्षेत्र छोड़ना चाहिए। ऐसा न हो कि कोई विद्यार्थी अकेला ही वहाँ खड़ा रहे। स्कूल गार्डों को क्षेत्र में घूम रहे किसी भी अवांछित व्यक्ति पर नज़र रखने के लिए सतर्क रहने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जाने-पहचाने चेहरे, अगर उनका वहाँ कोई काम नहीं है, पर भी नज़र रखी जानी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर इसे स्थानीय पुलिस स्टेशन के ध्यान में लाना भी स्कूल का दायित्व है।

drpradeeprathore@gmail.com

विद्यालय परिसर के भीतर व आने-जाने के दौरान सुरक्षित हो हर बालक

विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा एक ऐसा विषय है जिसके अनेक आयाम हैं। स्कूल भवन, परिसर, खेल के मैदान, प्रयोग शालाएँ, कंप्यूटर कक्षा, पुस्तकालय, शौचालय, पेयजल सुविधा, स्कूल बस, आसपास के क्षेत्रों का वातावरण ऐसा हो कि विद्यार्थी अपने आपको पूरी तरह सुरक्षित महसूस करे। अगर कोई आपदा आती है, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, स्कूल के मुखिया, शिक्षकगण और अन्य कर्मचारियों के साथ-साथ विद्यार्थियों को इस संबंध में जागरूक होना चाहिए। विद्यालय के सुरक्षित परिवेश में बच्चे सहज भाव से, निर्भय होकर मौज-मस्ती के साथ अपनी प्रतिभाओं को विकसित करें। उनके साथ कोई बदमाशी, उत्पीड़न या यौन-शोषण नहीं होना चाहिए। शारीरिक सुरक्षा के साथ ही विद्यार्थियों की भावनात्मक सुरक्षा भी महत्त्वपूर्ण है। उनके साथ होने वाला किसी भी प्रकार का भावनात्मक दुर्व्यवहार उनके संपूर्ण विकास में अनेक प्रकार से बाधक बनता है। विद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी को बाल दुर्व्यवहार के प्रमुख संकेतकों को समझने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, और अनुचित या हानिकारक व्यवहार पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। सभी हितधारकों के लिए यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि प्रत्येक छात्र स्कूल परिसर के अंदर और स्कूल आने-जाने के दौरान हर प्रकार से सुरक्षित रहे।

जितेंद्र कुमार
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा हरियाणा

कनीना बस दुर्घटना : जिम्मेदार कौन ?

डॉ.प्रमोद कुमार

11 अप्रैल, दिन वीरवार, देश पूरे हर्षोल्लास के साथ ईद मना रहा था। एक दूसरे को बधाइयाँ दी जा रही थीं। उसी वक्त हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले में एक प्राइवेट स्कूल के बस हादसे की खबर चारों ओर जंगल की आग की तरह फैलने लगी। 'महेन्द्रगढ़ के कनीना में एक स्कूल बस में 6 बच्चों ने जान गँवाई, अनेक घायल'। जिसने भी इन हृदयविदारक दृश्यों को अपनी आँखों से देखा, उसकी तो रूह काँप गई। सब अपने-अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे थे। किसी का गुस्सा स्कूल पर, किसी का ड्राइवर पर, कोई प्रशासन से नाराज़ था तो कोई कानून व व्यवस्था को कोस रहा था। लेकिन यह बात सभी को साल रही थी कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, पूरी तरह से मानवीय भूल, कानून की अनुपालना के प्रति उदासीनता, संवेनदहीनता और लापरवाही थी। संवेदनशीलता कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी तथा स्पष्ट प्रकट हो रहा था कि स्कूल अपने दायित्व से भटक कर कहाँ आ गये हैं, यह अंधी दौड कहाँ ले जा रही है। आधुनिक स्कूलों के 'रैविन्यू जैनरेशन मॉडल' की पूरी पोल-पट्टी खुल गई थी।

स्कूलों का निर्माण जिन उद्देश्यों के लिए, यथा- अच्छा समाज बनाने या अच्छे नागरिक तैयार करने के लिए हुआ था, यह स्कूल उनमें से किसी भी मापदण्ड पर खरा नहीं उतर रहा था। स्कूल चरित्र-निर्माण, व्यक्तित्व-विकास, नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन, कौशल की उन्नति के लिए बनाये गये थे, जहाँ सभ्य, सुसंस्कृत तथा योग्य नागरिक बनाये जा सकें। स्कूल विद्यार्थियों का नैतिक विकास करें, विद्यार्थियों में समुदाय की भावना भरें व उन्हें सहिष्णु बनायें। अब यदि स्कूल के पूरे कृत्यों का अवलोकन किया जाए तो जिस वातावरण में यह स्कूल चल रहा था उससे एक भी उपरोक्त उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। केवल और केवल 'रैविन्यू जैनरेशन मॉडल' चल रहा है। आधुनिक स्कूल व्यवस्था में बस हो ये रहा है कि पीली बसें सुबह-सुबह आ रही हैं तथा बच्चों को स्कूलों में भर-भर कर, कई बार तो ठूँस-ठूँस कर ले जा रही हैं।

इस हादसे के लिए आखिर जिम्मेवार कौन है, यह भी जानने का विषय है। क्या स्कूल जिम्मेवार है? क्या सरकार जिम्मेवार है जिसमें ट्रांसपोर्ट विभाग या पुलिस/

ट्रैफिक विभाग या स्कूल शिक्षा विभाग अथवा समाज, सोसायटी जिसमें माता-पिता/अभिभावक भी शामिल हैं? आखिर कौन है इस हादसे की जड़ में, यह जानना जरूरी है।

आइये पूरे मामले को देखें ताकि हमें विस्तार से पता चले। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूल द्वारा जो बस चलाई जा रही थी उस बस का परमिट तथा रजिस्ट्रेशन दोनों ही कई वर्ष पहले समाप्त हो चुके थे तथा इसकी पुख्ता जानकारी ट्रासपोर्ट विभाग के पास थी, क्योंकि पीली बसों को सरकार द्वारा टैक्स में छूट दी जाती है। इसके लिए प्रत्येक स्कूल वाहन ट्रांसपोर्ट विभाग या आरटीओ के पास आवेदन करता है तथा निश्चित समय-सीमा में दस वर्ष अथवा जो भी अधिकतम वाहन की आयु-सीमा है उसके बाद कौन-कौन से वाहन एक्सपायर अथवा उपयोग के योग्य नहीं हैं, इसकी सूची हर वर्ष, हर मास बनती है, जो इस बस के मामले में भी थी। बस का कुछ दिन पूर्व ही चालान हुआ था तथा 10,000 रुपये जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया, जबकि ऐसे वाहन को तो इम्पाउंड किया जाना चाहिए था, सरकारी मापदण्ड पर खरी न उतरने वाली बस सड़क पर बेधड़क क्यों चल रही थी, यह जिम्मेदारी किस पर डाली जाये, यह जानने का विषय है।

अब मामला यहीं समाप्त नहीं हो जाता, प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया कि हादसे से पूर्व अर्थात् सुबह करीब 8 बजे बस-ड्राइवर तथा उसके साथियों ने शराब पी। उसके बाद वह बस चलाकर बच्चों को बिठाकर अगले गाँव में अन्य बच्चों को बिठाने आया। उस समय वह नशे में धुत होने के कारण बहुत ही खतरनाक ढंग से बस चल रहा था जिसके कारण सड़क से उतरकर बस खेत में घुसी। तब गाँव वालों ने बस की चाबी निकालकर ड्राइवर के नशे में होने की खबर स्कूल प्रशासन/प्रधानाचार्य को दी तथा ड्राइवर की हालत बताई। उसके बावजूद स्कूल द्वारा लोगों को हस्तक्षेप करने से मना किया गया। बस की चाबी वापिस लौटाने को कहा तथा बस को जाने देने का निर्देश दिया जिससे अगले पाँच मिनट में बस ड्राइवर ने छह मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया तथा दर्जनों बच्चों को घायल कर दिया। ये बच्चे बच सकते थे क्योंकि पाँच मिनट पहले इन्हें बचने का अवसर मिला था, जिसमें गाँव के लोगों ने अपनी सूझबूझ दिखाई थी, परन्तु स्कूल प्रिंसिपल/प्रबंधन की लापरवाही और संवेदनहीनता के कारण छह बच्चे काल का ग्रास बन गये।

इस पूरे प्रकरण में मुझे कंडम बस से ज्यादा बस-ड्राइवर तथा स्कूल की लापरवाही अधिक नज़र आती है, स्कूल का तो कुछ भी ठीक नहीं, न प्रबंधन, न प्रशासन, न पर्यवेक्षण, न वाहन, न ड्राइवर, न अनुशासन कुछ भी तो ठीक नहीं। पहली बात तो जब पूरा देश राजपत्रित अवकाश मना रहा है, ईद का त्यौहार मना रहा है तो स्कूल शिक्षण के लिए क्यों खुला था। क्या यह सच नहीं कि प्राइवेट स्कूल यह दिखाने के लिए कि वह अच्छा पढ़ाते हैं, ज्यादा पढ़ाते हैं, इसका खूब नाटक करते हैं। जिसमें त्यौहार की छुट्टी न करना, दूसरे शनिवार की छुट्टी न करना, ग्रीष्म अथवा शीत अवकाश न करना या आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा शीतलहर या लू के प्रकोप से की जाने वाली छुट्टियाँ या समय में बदलाव के सरकारी आदेश की अवहेलना करना या यूँ कहें कि धज्जियाँ उड़ाना शामिल है। कुछ प्राइवेट स्कूलों ने माता-पिता के मन में यह भर दिया है कि छुट्टियों की आवश्यकता नहीं है, सरकारी कैलेंडर को अपनाने की जरूरत नहीं है या यूँ कहें कि सरकार या सरकार के स्कूल तो केवल छुट्टियाँ ही करते हैं। उनका पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं है। हम प्राइवेट स्कूल आपके बच्चों के लिए तथा उनकी शिक्षा के लिए बहुत संवेदनशील हैं। हम उन सबको 10 घंटे हर रोज़ पढ़ाकर डॉक्टर, इंजीनियर बना देंगे। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि माता-पिता भी ऐसा चाहते हैं कि बच्चा अधिकतर समय स्कूल में ही रहे, उन्हें तो रविवार के दिन भी बच्चा बोझ लगता है। उनका बस चले तो वह बच्चे को 12 घंटे स्कूल में रखें। यह हमारा भ्रम है कि माता-पिता पढ़ाई की वजह से स्कूल भेजते हैं, कुछ माता-पिता तो सिर्फ इसलिए स्कूल भेजते हैं कि उन्हें बच्चे बोझ लगते हैं। विशेषतः ऐसी आधुनिक माताएँ जो कामकाजी नहीं है जिन्हें तैयार होकर किट्टी-पार्टी में जाना हैं, वे चाहती हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा घंटे और ज्यादा से ज्यादा दिन स्कूल में रहें तथा इसी दबाव में स्कूल छुट्टियों में भी छुट्टियाँ नहीं करते हैं। बच्चे अधिकतर लोगों को सहन ही नहीं होते, उनके प्रश्नों का उत्तर देना, उन्हें समय देना, उन्हे अपनेपन से सँवारना, सहन शक्ति, शांत मन से उन्हें सुनना हर माता-पिता के बस की बात नहीं है।

एनसीएफ देखें या एनईपी-2020 या आरटीई एक्ट 2009, इसमें स्कूल कितने दिन तथा कितने घंटे लगेगा, इसका पूरा विवरण है जो इन नासमझ, अधिक आधुनिक अधकचरा पढ़ाई वाले या कम पढ़े-लिखे या तथाकथित आधुनिक प्रोग्रेसिव सोच वाले माता-पिता के साथ-साथ इन 'रैविन्यू जैनरेशन मॉडल' के स्कूल संचालकों को समझना चाहिए। पॉलिसी बनाने वालों ने कक्षा पहली से

पाँचवीं के लिए वर्ष में 200 दिन का स्कूल तथा 800 घंटे की अनिवार्य पढ़ाई की बात कही है, वहीं पर कक्षा 6 से 8 के लिए 220 दिन का स्कूल तथा 1000 वार्षिक घंटे (इंस्ट्रक्शनल आर्स) बताये हैं। अब इसमें भी जो एनसीएफ के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है वह 150 से 180 दिन का है तथा बाकी दिन मूल्यांकन, परीक्षण, परीक्षा, प्रतियोगिता के लिए होते हैं। वर्ष के कुल 365 दिनों में से 200 या 220 दिन शिक्षा-परीक्षा के लिए बहुत हैं। फिनलैंड जैसा देश, जिसकी शिक्षा-पद्धति की आज पूरा विश्व सराहना कर रहा है, वहाँ पर 190 दिन का स्कूल है, वार्षिक छुट्टियाँ 10 सप्ताह की हैं, दैनिक स्कूल-समय 330 मिनट हैं तथा सप्ताह में 5 दिन का स्कूल है। इस्टोनिया में 175 दिन, यूएसए 180 दिन, सिंगापुर में 190 दिन तथा भारत, जापान एवं कोरिया में वर्ष में 220 दिन का स्कूल है। यदि छुट्टियों की बात करें तो इस्टोनिया में 11.5 सप्ताह, यूएसए में 10 से 11 सप्ताह, ताइवान में 9 सप्ताह तथा न्यूजीलैंड, कोरिया, जापान तथा भारत में 6 सप्ताह की छुट्टियाँ होती हैं। यदि हरियाणा की बात की जाए तो छुट्टियाँ निकालकर हमारे यहाँ औसत वार्षिक स्कूल दिवस 232 हैं जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक हैं। फिर ईद के त्यौहार वाले दिन, शनिवार को भी स्कूल लगे तो इसके लिए स्कूल प्रबंधन और उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता दोनों ही जिम्मेदार हैं।

माता-पिता की जिम्मेदारी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वे सुबह-सुबह अपने बच्चे को, अपने दिल के टुकड़े को जिस बस-ड्राइवर की बस में चढ़ाते हैं उसकी प्रकृति व बस की दशा आदि से उन्हें भी परिचित होने की जरूरत है। बच्चे का स्कूल तो उसी समय शुरू हो जाता है जब वह बस में चढ़ता है तथा उसके पहले पीरियड का अध्यापक तो ड्राइवर ही है जिससे वह 'रूल्स ऑफ द रोड' सीख रहा है। हम जानते हैं कि बच्चों के अंदर तो अनुकरण एवं अनुसरण का स्वाभाविक गुण होता है। अतः यदि वह अपने बस-ड्राइवर को नियमों का पालन करते देखेगा तो जब उस बच्चे के हाथ में स्टेयरिंग आएगा तो वह उसी ड्राइवर की नकल करेगा, क्योंकि माता-पिता के साथ (यदि घर में वाहन है तो) बच्चा हर रोज़ सफर नहीं कर रहा है। उसका ट्रेनर तो बस-ड्राइवर ही है।

स्कूल बस चलाने की व्यावसायिक योग्यता में भारी वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए, केवल इतना काफी नहीं है। भारी वाहन तो ट्रक भी होता है, डम्पर भी होता है जिसमें पत्थर भरे जाते हैं और जो ड्राइवर 10 साल से डम्पर चला रहा था, वह अचानक आज स्कूल बस चलाएगा तो आप समझ सकते हैं कि कैसी बस चलाएगा। पत्थर ढोने में और नन्हे बच्चों को यात्रा कराने में अंतर है और यदि उसका इतिहास, उसका चरित्र बाल-शोषण का रहा है और वह शराब भी पीता है तो इस बात की क्या गारंटी है कि आपकी किशोर बेटी/बेटा सुरक्षित है। भारत में लोगों की याददाश्त बहुत ही कमज़ोर है, उदाहरणतः अगस्त, 2015 की घटना को सब भूल गये हैं जिसमें

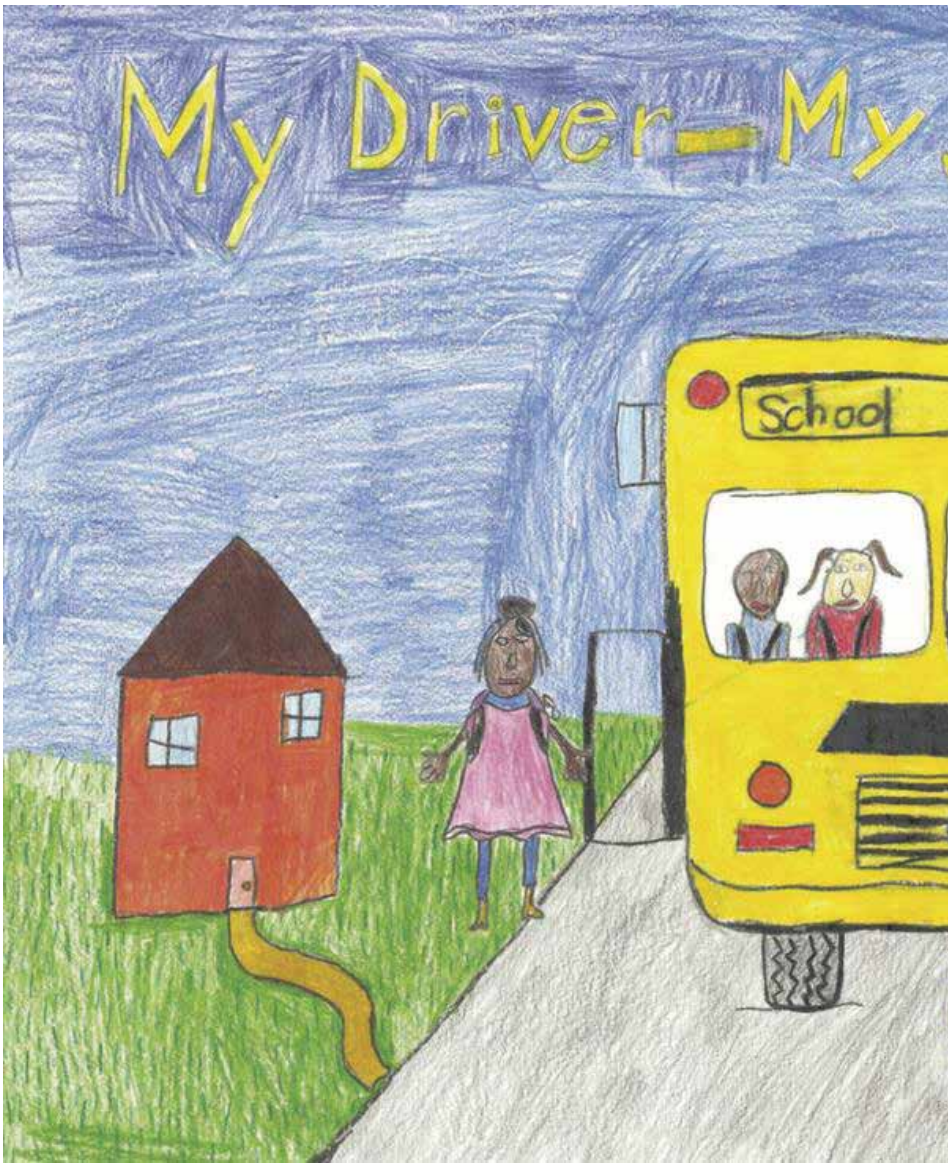

स्कूल वाहन के 37 वर्षीय ड्राइवर द्वारा बलात्कार किये जाने से 13 वर्ष की छात्रा गर्भवती हो गई थी।

आखिर फुर्सत कहाँ है माता-पिता के पास इतनी छानबीन करने की, उनके पास समय कहाँ है कि वे अपने बच्चों की सुध लें, उनके पास कुछ समय बैठ जाएँ, उन्हें पास-पास न रखकर उन्हें साथ-साथ रखें। माता-पिता के पास तो हज़ारों काम हैं जिसमें बहुतों के लिए उनकी संतान कोई विशेष महत्त्व नहीं रखती। वैसे भी बच्चों की कोई नहीं सुनता क्योंकि ये वोट-बैंक नहीं हैं। इस समय चुनाव चल रहा है तो सभी पार्टियों के घोषणा-पत्र हैं जिसमें सभी के लिए कुछ न कुछ है जैसे युवाओं, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, उद्योगों, किसानों- सबके लिए है। सिर्फ बच्चों और वह भी स्कूली बच्चे के लिए, उनकी रक्षा, सुरक्षा के लिए उनके शोषण से बचाव के लिए क्या है, यह देखने का विषय है। यह बात हमें समझ में कब आयेगी कि दुनिया बच्चों की है? उनके लिए जो अधिकार बने हैं, जो हमारे संविधान ने उन्हें दिये हैं, उन तक पहुँचें - यह भी राजनीतिक एजेंडा होना चाहिए।

मुझे यहाँ स्कूल, उसका प्रशासन या सरकार तो जिम्मेदार दिखते ही हैं, माता-पिता की अंधी दौड़, खाली दिखावा, झूठी शान तथा शीघ्रता से कुछ पा लेने की इच्छा ज्यादा दोषी नजर आती है। विज्ञापन की इस दुनिया में जिसमें माउथ पब्लिसिटी की ज्यादा भूमिका है, जिसने जाने-अनजाने में सरकारी विद्यालयों को दोयम दर्जे का तथा प्राइवेट विद्यालयों को प्रथम दर्जे का स्थापित कर दिया है। जबकि सच्चाई सबको पता है कि प्रदेश

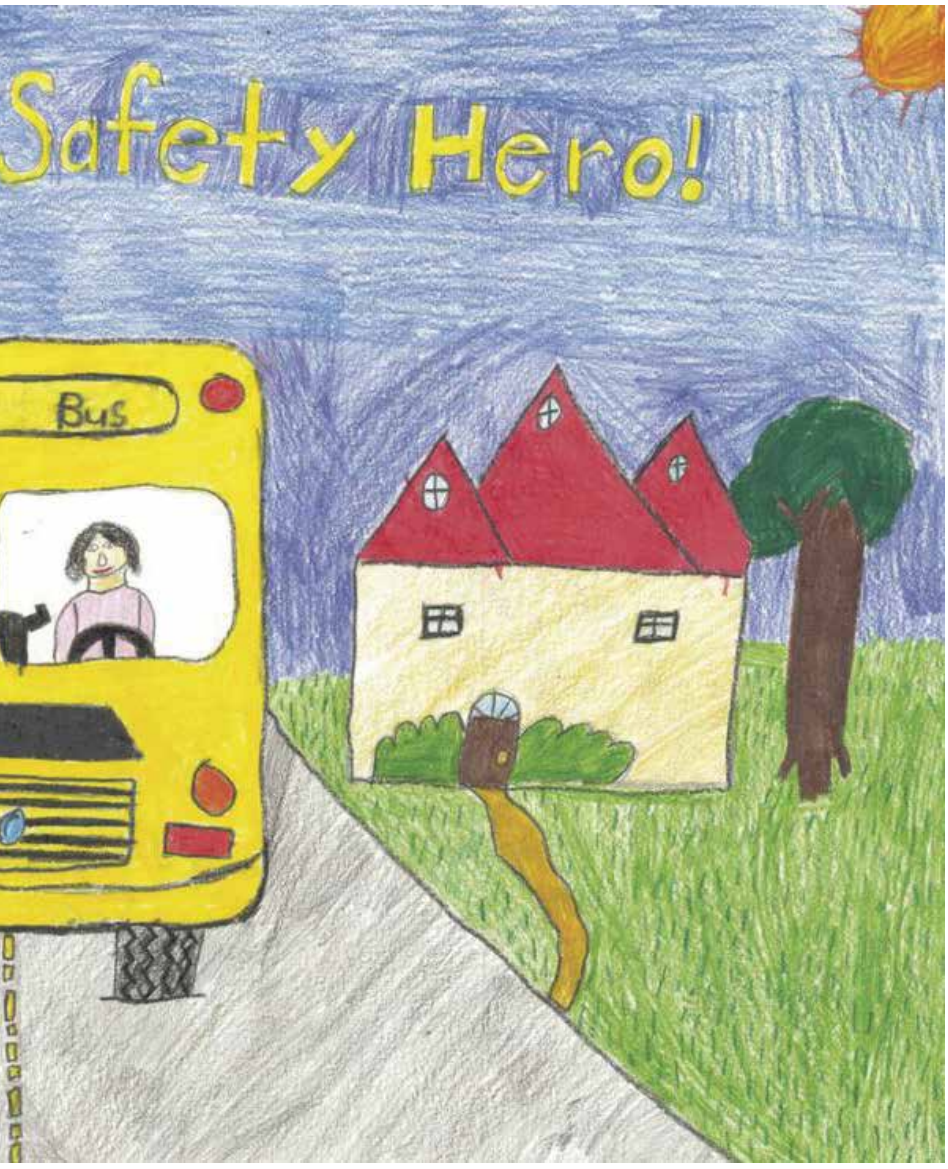

में 14,600 सरकारी तथा 10,500 प्राइवेट विद्यालय हैं जिनमें 52 लाख बच्चों को 2 लाख अध्यापक पढ़ा रहे हैं। सरकारी तथा प्राइवेट विद्यालयों में नामांकन को लेकर बराबरी का मुकाबला चलता है। कभी सरकारी विद्यालयों में 50 प्रतिशत से अधिक बच्चे आ जाते हैं, कभी प्राइवेट विद्यालयों में 50 प्रतिशत से अधिक हो जाते हैं। अर्थात् केवल 5 प्रतिशत बच्चे इधर-उधर हो रहे हैं। कोविड-19 के दौरान जब माता-पिता को लगा कि बिना स्कूल बुलाये प्राइवेट स्कूल फीस माँग रहे हैं तो केवल फीस बचाने के लिए 5 प्रतिशत बच्चों को सरकारी में दाखिल करवा दिया। अर्थात् टेम्पोरेरी पार्किंग कर दी गई और पूरे भारत में सरकारी स्कूलों की छात्र संख्या बढ़ गई। कोविड समाप्त होते ही यह छात्र संख्या प्राइवेट में चली गई। अब माता-पिता का यह नज़रिया बताता है कि उन्हें तीन काम एक साथ करने हैं, जिनमें सबसे पहले तो समाज में रूतबा बने कि बच्चा फलाँ प्राइवेट स्कूल में जाता है, दूसरा स्कूल कुछ ऐसा करे कि बच्चा सोलह कला सम्पूर्ण हो जाए उसके लिए चाहे उसे 24 घंटे स्कूल की पढ़ाई करनी पड़े, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ मौका लगे वहाँ पैसे भी बच जायें या फिर सस्ती दरों पर ट्रांसपोर्ट सुविधा मिल जाये। जिस बस की हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में यह भी पता चला है कि 15 से 20 किलोमीटर तक के ट्रांसपोर्ट की दर 600 रुपये महीना थी। अब इतने कम पैसे अर्थात् 600 रुपये महीना या कहें कि 20 रुपये प्रतिदिन अर्थात् लगभग 50 पैसे प्रति किलोमीटर में तो ऐसा ही वाहन संसाधन तथा ड्राइवर मिलेगा। यह दर तो रोडवेज बस की दर से भी कम है जिसका रेट 1 रुपया प्रति किलोमीटर से ज्यादा है। इतने कम पैसे में सुरक्षा की कामना, सुरक्षा की गारंटी या संभावना हो ही नहीं सकती।

इस दर से इस सस्ते रेट में तो कुछ भी संभव नहीं है, केवल और केवल सुरक्षा से समझौता ही हो सकता है। ट्रांसपोर्ट विभाग की जनवरी 2014 में जारी की गई सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की धरातल पर अनुपालना इतनी सस्ती दर में संभव ही नहीं है। अब विडम्बना देखिये इस पॉलिसी पर तथा सितम्बर 2017 में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बनाई गई 'रेगुलेशन्स ऑन स्कूल सेफ्टी' पर क्या कभी भी किसी प्राइवेट स्कूल ने माता-पिता को जागरूक किया है, नियमों और मापदण्डों का प्रचार-प्रसार किया है, जो नियमानुसार किया जाना अनिवार्य था, सबको करना था। राज्य के 10,500 से अधिक प्राइवेट स्कूलों में से 500 के आसपास फाइव स्टार स्कूलों को छोड़कर बाकी स्कूलों में वाहनों की हालत क्या है, सबको पता है। सड़क पर दौड़ने वाले पीले रंग के कितने हज़ार वाहन (अनुमानित संख्या 8,000) गैर कानूनी हैं जिनका डेटा ट्रांसपोर्ट विभाग के पास है। प्राइवेट स्कूल में होने वाली पीटीएम जो वर्ष में चार से पाँच बार होती है उसका मुख्य एजेंडा बच्चे की शैक्षणिक प्रगति बारे चर्चा करने की औपचारिकता मात्र है। किसी स्कूल में कोई पीटीए/पीटीएम स्कूल सुरक्षा को लेकर हुई हो, मुझे याद नहीं है।

माता-पिता के साथ स्कूल खिलवाड़ कर रहा है, तो स्कूल और माता-पिता मिलकर बच्चे से खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चे की कोई आवाज़ नहीं है। छह बच्चों की आवाज़ तो हमेशा के लिए यह व्यवस्था खा गई है। इन बच्चों की सच्ची श्रद्धांजलि तब मानी जाएगी, अगर आगे से व्यवस्था सुधर जाए। यह कुर्बानी है जो व्यर्थ न जाए, आगे इन बच्चों के अन्य साथी इस स्थिति से न गुज़रें, इस पर कार्य होना चाहिए। स्कूल को, समाज को, शिक्षक को, अभिभावक को, सरकार को, प्रबंधन को, प्रशासन को अब जागृत हो जाना चाहिए, सक्रिय हो जाना चाहिए तथा मिलकर काम करना चाहिए। स्कूल में आने वाले इस राज्य/देश का प्रत्येक बच्चे के लिए 'शिक्षार्थ आये व सेवार्थ जाये', का नारा धरातल पर दिखाई देना चाहिए।

देखिये, यह दुनिया बड़ों की नहीं है, यह बच्चों की है। बड़े इस बात को स्वीकार कर लें, सभी समस्याओं का हल इसी सोच में है। यदि जवान लोग बच्चों के लिए अच्छी और सुरक्षित दुनिया बनाएँगे, तो ये बच्चे कल जवान होकर बूढ़ों के लिए अच्छा समाज बनाएँगे ताकि उनका बुढ़ापा सुरक्षित बीत सके। जैसा हम बोते है, अंततः वैसा ही तो काटते हैं।

कार्यक्रम अधिकारी
शैक्षणिक प्रकोष्ठ
निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा

बच्चों की सुरक्षा में हमारी भूमिकाएँ

डॉ. प्रदीप राठौर

बच्चों को सम्मान के साथ जीने और ऐसे वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जो पूर्णतः सुरक्षित हो एवं उनके विकास के लिए अनुकूल हो। विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा और बचाव को व्यापक परिप्रेक्ष्य से देखा जाना चाहिए। उनकी सुरक्षा को न केवल बुनियादी ढाँचे और भौतिक सुरक्षा तक ही सीमित समझना चाहिए, बल्कि इससे आगे बढ़कर शारीरिक दंड, धमकाने वाली शारीरिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा और भावनात्मक हिंसा तथा यौन-शोषण को भी उसमें शामिल समझना चाहिए। स्कूलों को सुरक्षित बनाने के लिए स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों और काउंसलरों सहित विभिन्न हितधारकों की अपनी-अपनी भूमिकाएँ हैं, जिन पर यहाँ विचार करने का प्रयास किया जा रहा है।

शिक्षकों की भूमिका-

शिक्षक सबसे महत्त्वपूर्ण मानव संसाधन है जिसकी विद्यालय में सुरक्षित और अनुकूल शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने में सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका है। विद्यालय के सुचारू कामकाज के लिए उसकी जिम्मेदारी सबसे अधिक है। ऊपर काउंसलरों का जिक्र किया गया है। सच्चाई यह है कि सभी विद्यालयों में काउंसलर का पद नहीं है। ऐसी अवस्था में विद्यालय का अध्यापक ही काउंसलर की भूमिका भी निभाता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि समय-समय पर उसे प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वह काउंसलर की प्रभावी भूमिका निभा सके। उसे पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों, जेजे अधिनियम, स्कूल सुरक्षा दिशानिर्देश, हेल्पलाइन और आपातकालीन नंबर, आपदा-प्रबंधन आदि की जानकारी होगी, तभी वह अपनी

काउंसलर की भूमिका को सही प्रकार से निभा पाएगा।

शिक्षण के अलावा और भी हैं दायित्व-

प्रत्येक शिक्षक को अपने संरक्षण में बच्चों के संरक्षक के रूप में जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। शिक्षक बच्चों में दुर्व्यवहार के लक्षणों का निरीक्षण और निगरानी करने, ऐसे दुर्व्यवहार को पहचानने और उस पर प्रतिक्रिया देने में प्रभावी भूमिका अदा कर सकते हैं। वे परिवार के बाहर बच्चों के मुख्य देखभालकर्ता हैं और नियमित आधार पर बच्चों के साथ निकट संपर्क रखते हैं और तदनुसार दुर्व्यवहार को रोकने/पता लगाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विद्यार्थियों को शिक्षा, ज्ञान और कौशल प्रदान करने से संबंधित दायित्व के अलावा, प्रत्येक शिक्षक की बच्चे की देखभाल करने वाले के रूप में निम्न अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ होती हैं-

1) शिक्षक को देखना है कि जिस अवधि में उसे बच्चे सौंपे गए हों, उस अवधि में वे पूरी तरह सुरक्षित हों।
2) शिक्षक को बच्चे में स्कूल के भीतर और बाहर, उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने चाहिए।
3) शिक्षक को बच्चों के साथ खुले संचार का माहौल बनाना चाहिए, ताकि दुर्व्यवहार/हिंसा की जानकारी बहुत देर तक 'गुप्त' न रहे और समस्याओं की सूचना जल्दी मिल जाए और शुरुआत में ही उन्हें रोका जा सके। खुले माहौल में समस्या के समाधान में मदद के लिए छात्रों द्वारा भरोसेमंद वयस्कों की ओर रुख करने की संभावना अधिक होती है।
4) जोखिम वाले किसी भी पहलू की रिपोर्ट करना, ताकि किसी भी चूक को तुरंत ठीक किया जा सके, जिससे खतरों को घटित होने से या उनकी पुनरावृत्ति होने से रोकी जा सके।
5) किसी भी अप्रिय घटना की रिपोर्ट करना जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके ध्यान में आए।

विद्यार्थियों को दंड देना-

यह शिक्षक का दायित्व है कि वह बच्चे को अनुशासन में रहना सिखाये। यह भी जरूरी है कि अनुशासनीहता न होने दी जाये। परंतु इस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि इसके लिए विद्यार्थियों को ऐसा दंड न दिया जाये, जो उनके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। शिक्षकों को स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी अनुशासनात्मक तकनीकें स्वीकार्य हैं और कौन सी नहीं।

कई बार विद्यालयों में ऐसी घटनायें देखने-सुनने को मिल जाती हैं कि शिक्षक की मारपीट से बच्चे को गंभीर चोट लग गई, आँख की रोशनी चली गई या कान का पर्दा फट गया। ऐसी सभी घटनायें निंदनीय हैं। अब विद्यालयों में ऐसे किसी शारीरिक दंड देने की मनाही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 17 के तहत विद्यालयों में शारीरिक दंड निषिद्ध है। शिक्षा-शास्त्री भी मानते हैं कि शारीरिक दण्ड से बच्चों के कोमल मन में नकारात्मक मनोविकार पैदा होता है, जो बच्चों के विकास में बाधक बनता है। यह उन्हें चिड़चिड़ा बना देता है, साथ ही उसके मन में डर की भावना घर कर जाती है। इस तरह के दण्ड से बच्चों के मन में क्रोध, क्षोभ और उद्दंडता की भावनाएँ पैदा होती हैं। बच्चे अक्सर बड़ों की नकल करते हैं। बड़ों के हिंसात्मक व्यवहार को देखकर बच्चे भी अपनी उलझनों के समाधान के लिए हिंसात्मक व्यवहार को अपनाने लगते हैं। कभी-कभी बच्चा अपने माता-पिता पर ही आक्रामक हो जाता है या शिक्षक से भी बदला लेना चाहता है।

शारीरिक दण्ड बच्चे को अनुशासित करने का एक बहुत ही प्रभावहीन तरीका है। बाल विकास में इसका

अच्छा नहीं, बल्कि बुरा प्रभाव पड़ता है। एक ज़माना था जब विद्यालयों में खूब शारीरिक दंड दिये जाते थे। इसे सामाजिक स्वीकृति भी मिली हुई थी। 'छड़ी को छोड़ो और बच्चों को बिगाड़ो,' ऐसा अधिकांश अभिभावकों की मान्यता हुआ करती थी। वे युवा जो अपने माता-पिता और शिक्षक से पिटाई खाते हैं वे हमेशा यह समझते हैं कि ऐसा करना बच्चे के हित में है। वे प्रायः उस सदमे को भूल जाते हैं जिससे वे गुज़र चुके होते हैं।

अब कोई भी शिक्षा शास्त्री शारीरिक दंड का समर्थन नहीं करता। अतः बच्चों को शारीरिक दंड तथा भावात्मक दंड नहीं दिये जाने चाहिए। बच्चे के बाल खींचना, छड़ी से मारना, मुक्का मारना, बच्चे पर किताब या चॉक फेंकना या उसे किसी भी तरह से चोट पहुँचाने से सख्ती से बचना चाहिए। इतना ही नहीं बच्चे को भोजन या पानी या शौचालय की सुविधा से वंचित करना, बच्चे को धूप में खड़े रहने के लिए मजबूर करना या उसके किसी भी कपड़े को उतारना और उसे कक्षा के सामने खड़े होने के लिए मजबूर करना आदि प्रताड़ना के तरीके बिल्कुल भी नहीं अपनाये जाने चाहिए। शारीरिक दंड के सभी स्वरूप मानवाधिकारों का बुनियादी उल्लंघन हैं।

माता-पिता की भूमिका-

माता-पिता स्कूल प्रणाली के सबसे दयालु हितधारक हैं। स्कूल परिसर में अनुशासन और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उनकी चिंताएँ और प्रतिक्रियाएँ मूल्यवान हैं। स्कूल प्रबंधन को बाल-सुरक्षा से संबंधित नीतिगत मामलों पर माता-पिता को स्पष्ट अपेक्षाएँ बतानी चाहिए ताकि माता-पिता और स्कूल संयुक्त रूप से साझेदारी करके बच्चों को एक जैसा संदेश दें, ताकि बच्चों के मन में कोई भ्रम न हो। इसे एक सर्कुलर के माध्यम से सूचित किया जा सकता है, लेकिन बेहतर होगा यदि स्कूल काउंसलर माता-पिता के लिए कुछ घंटों का सत्र आयोजित करके उन तक यह बात पहुँचाये। उन तक स्पष्ट रूप में यह बात पहुँचाई जानी चाहिए कि स्कूल प्रणालियों/नीतियों का पालन करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्हें प्रवेश/निकास/पहचान पत्र/पिक-अप/अनुपस्थित सूचना आदि के नियमों का पालन करने के स्पष्ट दिशानिर्देश दिये जाने चाहिए।

माता-पिता को समय-समय पर समाचार-पत्रों में बच्चों से दुर्व्यवहार से संबंधित प्रकाशित समाचारों पर बच्चों के साथ चर्चा करनी चाहिए, ताकि ऐसे विषय सहजता से चर्चा में आ सकें और बच्चों के मन में ऐसे विषयों पर चर्चा का संकोच समाप्त हो। (उदाहरण के लिए कॉन्डोमिनियम लिफ्ट में गार्ड द्वारा छोटी लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला)। इन चर्चाओं का फोकस इस बात पर होना चाहिए कि यदि कोई घटना उन्हें असहज बना रही है तो इस पर प्रतिक्रिया करनी चाहिए और अध्यापकों या अभिभावकों के संज्ञान में लाना चाहिए।

स्कूल काउंसलर की भूमिका-

1) कन्या विद्यालय में काउंसलर अनिवार्य रूप से एक महिला होनी चाहिए।
2) काउंसलर की भूमिका बच्चों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हुए स्कूल प्रबंधन को आवश्यक सलाह देना है ताकि बच्चों के साथ घटित समस्याओं का समाधान हो और उन्हें रोका जा सके।
3) काउंसलर को बच्चों की किसी भी समस्या के मामले को संभालना चाहिए, चाहे कोई साधारण समस्या हो या फिर धमकाने या यौन शोषण जैसी गंभीर।
4) काउंसलर को बच्चों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने चाहिए और उसे बच्चों के लिए सदैव सुलभ होना चाहिए। बच्चे निःसंकोच और सहज रूप से उसे अपनी या अपने सहपाठियों की बात बता सकें, यथा - कोई लड़का किसी लड़की का पीछा करता है, या कोई लड़का बुरी संगत में पड़ गया है, अब वह बाहर निकलना चाहिता है, आदि।
5) काउंसलर को बच्चों से जुड़ने के लिए हर सत्र में कम से कम एक बार, भले ही केवल आधे घंटे के लिए ही क्यों न हो, प्रत्येक कक्षा का दौरा करना चाहिए, जहाँ उचित चर्चा हो सके। महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे और काउंसलर के बीच बातचीत होती रहनी चाहिए ताकि उनके मध्य तालमेल बना रहे।

6) काउंसलर को किसी समस्या का सामना कर रहे किसी विशेष बच्चे के बारे में उसके शिक्षकों से लगातार संपर्क में रहना चाहिए ताकि उसे आवश्यक अपडेट मिलती रहें और बच्चे से उसका निकट संबंध बना रहे।
7) जैसे ही दुर्व्यवहार का कोई संभावित मामला काउंसलर के ध्यान में आता है, उसे तत्काल प्रभावित बच्चे को संभालना चाहिए, और माता-पिता और वरिष्ठ प्रबंधन को विवेकपूर्ण तरीके से इसके समाधान में शामिल करना चाहिए।
8) विद्यालय में नियुक्त काउंसलर की अनुपस्थिति में, प्रधानाचार्य को स्वयं किसी योग्य काउंसलर से संपर्क करना चाहिए, जिनसे किसी गंभीर समस्या के मामले में परामर्श लिया जा सके।

गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भूमिका-

1) ध्यान रहे, विद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी बाल अधिकारों और सुरक्षा के संरक्षण में एक हितधारक है।
2) गैर-शिक्षण कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें छात्रों की सुरक्षा के सभी पहलुओं की अच्छी जानकारी है और वे सभी पहलुओं का अनुपालन करते हैं।
3) उन्हें विद्यालय के बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना चाहिए।
4) सिस्टम में किसी भी हितधारक द्वारा अप्रिय व्यवहार

के बारे में स्कूल प्रमुख को सूचित करना चाहिए।
5) विद्यालय प्रबंधन को भी उनके अंतर-वैयक्तिक संबंधों, छात्रों और कर्मचारियों के प्रति स्वभाव, प्रभावी संचार, जोखिम भरे व्यवहार, ज्ञान और बाल अधिकारों और सुरक्षा के बारे में जागरूकता आदि के प्रति चौकस रहना चाहिए।

छात्रों की भूमिका-

1) प्रत्येक छात्र को समय-समय पर स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों द्वारा जारी किए गए सुरक्षा और बचाव संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।
2) यदि छात्र स्कूल परिसर के बाहर या परिसर के अंदर तंबाकू/ड्रग संबंधित पदार्थों की आपूर्ति आदि

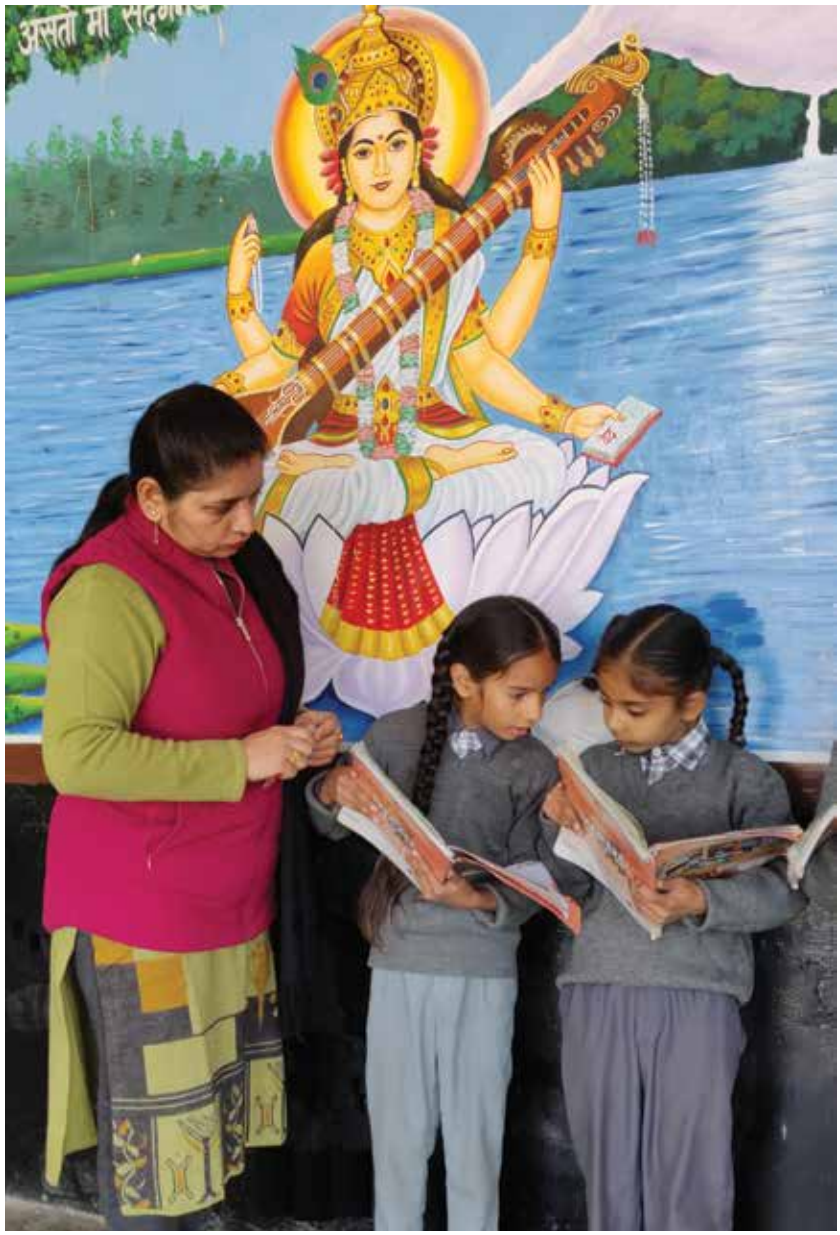

गतिविधियों को देखते हैं, तो उन्हें शिकायत बॉक्स के माध्यम से या अन्य तरीके से अध्यापकों या मुखिया को सूचित करना चाहिए।

3) वरिष्ठ छात्रों को शिक्षकों के मार्गदर्शन में अन्य छोटे छात्रों के साथ बदमाशी और यौन-उत्पीड़न जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए।
4) वरिष्ठ छात्रों को जहाँ तक संभव हो, अन्य छात्रों के लिए पीअर एजुकेटर के रूप में कार्य करना चाहिए।
5) उन्हें सदा शारीरिक रूप से एक्टिव रहना चाहिए।
6) आवश्यकता पड़ने पर शिक्षकों / परामर्शदाताओं / माता-पिता से सहायता लेने में संकोच नहीं करना चाहिये।

फीडबैक/शिकायत से निपटना-

शारीरिक शोषण, मारपीट या धमकाने के किसी मामले में गंभीर प्रकृति की चोट होने पर अग्रलिखित महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हुए इससे निपटा जाना चाहिए-

क) तत्काल कार्रवाईः इसे तुरंत स्कूल काउंसलर, प्रिंसिपल, बच्चे के माता-पिता के ध्यान में लाया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाये कि बच्चे की सुरक्षा के लिए उचित उपचारात्मक कार्रवाई हो और दुर्व्यवहार करने वाले/धमकाने वाले को दंडित किया जाए और कड़ी चेतावनी दी जाए।

ख) गोपनीयताः उन विशिष्ट शिक्षकों/परामर्शदाताओं को छोड़कर जिन्हें जानकारी देने की आवश्यकता हो, शेष सभी से पीड़ित बच्चे का नाम गोपनीय रखा जाना चाहिए। यदि कोई अन्य बच्चा इस मामले मे विद्यालय-प्रबंधकों/अध्यापकों को फीडबैक दे रहा है, तो उसका नाम भी गोपनीय रखा जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना है कि वे सिस्टम में किसी अन्य प्रभावित पक्ष द्वारा पीड़ित न हों और न ही अवांछित ध्यान का केंद्र बनें।

ग) चिकित्सा व्यवस्थाः चोट की गंभीरता के आधार पर, स्कूल को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करनी चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो एक योग्य चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, और यदि चोट ज्यादा गंभीर है, तो यह स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह संबंधित के माता-पिता को संकट की गंभीरता के बारे में सूचित करते हुए पीड़ित को यथाशीघ्र निकटतम चिकित्सा केंद्र तक लेकर जाये।

घ) पारदर्शिताः अगर स्कूल माता-पिता से चोट/स्थिति के कारणों संबंधी तथ्यों को छिपाते हुए पाए गए (उदाहरण के लिए शिक्षक द्वारा थप्पड़ मारने के बाद बच्चे का बेहोश हो जाना या सजा के रूप में बिना पानी के धूप में खड़ा होना) तो दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं, और संबंधित कानून के मुताबिक दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक गिरफ्तारी जारी की जा सकती है।

ड.) विशेषज्ञ सहायताः मामले की गंभीरता के आधार पर, स्थिति से निपटने के तरीके के बारे में बच्चे/परिवार को मार्गदर्शन देने के लिए माता-पिता/परिवार की सहायता के लिए एक एक्सपर्ट काउंसलर को लाया जा सकता है। स्कूल काउंसलर को अहम भूमिका निभानी चाहिए। किसी भी कारण से स्कूल काउंसलर की अनुपस्थिति में तुरंत किसी प्रशिक्षित काउंसलर की सहायता लेनी चाहिए।

च) अनिवार्य रिपोर्टिंगः घटना के बारे में स्थानीय पुलिस स्टेशन को तत्काल सूचना देना भी अनिवार्य है, खासकर यदि इसमें बच्चे को गंभीर चोट लगी हो, या चाकू, बंदूक जैसे हथियारों का उपयोग शामिल हो।

छ) कार्रवाई के लिए समय सीमाः जहाँ बच्चे को चोट लगी हो और चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता हो, ऐसे गंभीर मामले में स्कूल को पहले चौबीस घंटों के भीतर जाँच शुरू करनी होगी, चाहे वह कार्यदिवस हो या नहीं। यदि यह एक नियमित मामला है, तो जाँच पहले कार्य-दिवस से शुरू होनी चाहिए। स्कूल द्वारा गठित एक टीम द्वारा जाँच की जाए, जिसमें स्कूल सुरक्षा समिति के न्यूनतम तीन सदस्य हों। रिपोर्ट दो दिन के अंदर जमा कराई जाये। घटना के सात दिनों के भीतर दोषी पाए गए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाये।

drpradeeprathore@gmail.com

जानिये स्कूल सुरक्षा समितियों के कार्यक्षेत्र

डॉ. ओमप्रकाश कादयान

विद्यार्थियों की सुरक्षा व विद्यालयों में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए 2017 में शिक्षा विभाग द्वारा हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और आरटीई अधिनियम 2009 के प्रावधानों को लागू करते हुए राज्य भर के सभी स्कूलों के सभी हितधारकों के लिए एक मैकेनिज़्म तैयार किया गया था। इसके अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षा समितियों का गठन भी शामिल किया गया था। यहाँ हम 'रेगुलेशन्स ऑन स्कूल सेफ्टी' के अन्तर्गत तीन स्तरीय सुरक्षा समितियों की बात करेंगे।

सुरक्षा समितियाँ-

सुरक्षा मानदंडों के रेगुलेशन्स के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तीन स्तरों पर सुरक्षा समितियों का गठन किया जाता है। तीन स्तरीय सुरक्षा समितियों में पहली समिति जिला स्तर की है, दूसरी उपमंडल स्तर की तथा तीसरी स्कूल स्तर की।

जिला स्तरीय समिति अपने-अपने क्षेत्रों में स्कूलों के सुरक्षा मुद्दों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगी, उपमंडल स्तरीय समिति यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी नज़र रखेगी कि निर्देशों की अनुपालना की जा रहा रही हो, जबकि स्कूल स्तरीय समितियाँ स्कूलों की सुरक्षा चिंताओं के संबंध में दिन-प्रतिदिन की विशिष्ट समस्याओं पर ध्यान देंगी।

क. जिला विद्यालय सुरक्षा समिति-

राज्य के प्रत्येक जिले में जिले के उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक जिला विद्यालय सुरक्षा समिति होगी। इस समिति के अन्य सदस्य इस प्रकार होंगे- 1. पुलिस अधीक्षक/सीपी के प्रतिनिधि, (डीसीपी के पद से नीचे नहीं), 2. सिविल सर्जन, 3. अधिशासी अधिकारी संयुक्त आयुक्त नगर-पालिका, 4. कार्यकारी अभियंता (बीएंडआर), 5. सचिव आरटीए, 6. जिला नगर योजनाकार, 7. उपायुक्त द्वारा नामित निजी स्कूलों के प्रतिनिधि, 8. कोई अन्य व्यक्ति जिसे उपायुक्त उपयुक्त समझें (जैसे बाल-मनोवैज्ञानिक, सीडब्ल्यूसी के सदस्य आदि), 9. जिला शिक्षा अधिकारी (सदस्य सचिव के रूप में), 10. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (अतिरिक्त सदस्य सचिव के रूप में)

यह समिति सुरक्षा मानदंडों पर नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उपमंडल स्तर की समितियों के माध्यम से नियमित अंतराल पर स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए कदम उठाएगी या किसी भी घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए स्वयं निरीक्षण करेगी। इसके अलावा, यह समिति किसी भी निचले स्तर की समिति के निर्णय के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगी। समिति स्कूलों में सुरक्षित मानक बनाए रखने और स्कूलों से संबंधित किसी भी अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए समय-समय पर छात्रों, शिक्षकों के बीच जागरूकता अभियान चलाएगी और जरूरत पड़ने पर प्रचार-सामग्री तैयार करेगी। इस समिति के सभी कार्यों, निर्देशों, आदेशों को सभी संबंधितों द्वारा प्रवर्तन के लिए वैध माना जाएगा।

ख.उपमंडल स्तरीय समिति-

उपमंडल स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में एक स्कूल सुरक्षा समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे-

1) पुलिस उपाधीक्षक/एसीपी, 2) खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, 3) खंड शिक्षा अधिकारी।, 4) आरटीए का प्रतिनिधि, 5) निजी स्कूल एसोसिएशन का प्रतिनिधि (एसडीएम द्वारा नामित), 6) अभिभावक संघ के प्रतिनिधि, 7) कोई अन्य व्यक्ति जिसे एसडीएम उपयुक्त समझें।

यह समिति स्कूलों से संबंधित सुरक्षा तंत्र का समय पर निरीक्षण और निगरानी सुनिश्चित करेगी। यह शैक्षणिक संस्थानों के सुचारु कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी कदमों के कार्यान्वयन के लिए स्कूलों/स्कूल स्तरीय समिति को निर्देश दे सकती है। कोई भी सार्वजनिक व्यक्ति, यदि किसी स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक देखता है, तो उसे स्कूल के साथ-साथ संबंधित एसडीएम के संज्ञान में लाने के लिए अधिकृत किया जाएगा। एसडीएम तुरंत शिकायत की जाँच कराएँगे और स्कूल की सुरक्षा में कोई कमी पाए जाने पर उसे सुधारने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करेंगे। प्रत्येक स्कूल को एसडीएम, डीईओ, बीईओ और एसएचओ के मोबाइल नंबर, नाम सहित आम जनता के लिए प्रमुख रूप से सुलभ और दृश्यमान स्थान पर प्रदर्शित करना होगा। इस समिति के सभी कार्यों, निर्देशों, आदेशों को सभी संबंधितों द्वारा प्रवर्तन के लिए वैध माना जाएगा।

ग. विद्यालय सुरक्षा समिति-

प्रत्येक स्कूल को प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में एक स्कूल सुरक्षा समिति का गठन करना होगा, जिसमें निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे-

1) शारीरिक शिक्षा के अध्यापक , 2) स्कूल के कोऑर्डिनेटर, 3) स्कूल का सुरक्षा प्रभारी (जिला प्रशासन के विभिन्न कार्यालयों के साथ संपर्क रखने वाला नोडल अधिकारी)

यह समिति सुरक्षा नियमों और निर्देशों के साथ-साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के निष्पादन और पालन के लिए जिम्मेदार होगी।

कार्य-

1) स्कूल के माहौल और परिस्थितियों के मुताबिक विशिष्ट बाल संरक्षण दस्तावेज तैयार करना, 2) कार्य योजना तैयार करना , 3) संचार-योजना तैयार करना, 4) निकासी योजना, कैपेबिलिटी मैपिंग आदि के साथ संकट प्रबंधन योजना तैयार करना, 5) छात्रों और परामर्श सत्रों में कर्मचारियों की विभिन्न प्रकार की क्षमता-निर्माण के लिए प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करना।

बैठकों की आवृत्ति-

क.) जिला स्तरीय समिति हर तीन महीने में एक बार या जरूरत पड़ने पर उससे पहले बैठक करेगी।

ख.) उपमंडल स्तर की समिति जरूरत पड़ने पर हर महीने या उससे पहले बैठक करेगी।

ग.) स्कूल सुरक्षा समिति (एसएससी) हर हफ्ते स्कूल के सुरक्षा-तंत्र की समीक्षा करेगी।

दुर्व्यवहार के किसी भी मामले में, एसएससी ऐसा मामला सामने आने पर तुरंत बैठक करेगी, और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक अनुवर्ती बैठकें करेगी कि मामले को सभी तरह से बंद माना जाए। इसमें दुर्व्यवहार करने वाले के लिए उचित दंडात्मक उपाय, परामर्श के माध्यम से बच्चे और परिवार को सहायता, व्यक्ति के दुष्कर्म को दर्शाने के लिए व्यक्तिगत रिकार्ड को अद्यतन करना शामिल है।

राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय,
एमपी रोही, फतेहाबाद (हरियाणा)

कैसे बनें विद्यालय परिसर सुरक्षित ?

सुदेश रानी

एक छात्र अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा स्कूलों में बिताता है। उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जैसे शैक्षणिक, खेल, पाठ्येतर गतिविधियों, समारोहों आदि में भाग लिया जाता है। यह आवश्यक है कि ऐसी किसी भी गतिविधि में भाग लेते समय विद्यार्थी की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाये।

सामान्य अनुशासन-

1) स्कूल में सभी व्यक्तियों के प्रवेश/निकास को उनके अंदर और बाहर निर्दिष्ट समय के साथ स्पष्ट रूप से लॉग किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी समय, परिसर में मौजूद अंदर और बाहर के लोगों का स्पष्ट रिकॉर्ड मौजूद रहे। परिसर में केवल एक प्रवेश/निकास गेट खुला होना चाहिए।
2) हर रोज़ सुबह क्लास-इंचार्ज द्वारा विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति दर्ज की जानी चाहिए।
3) आगंतुकों या माता-पिता के लिए एक अलग रजिस्टर रखा जाना चाहिए, जिसमें आगंतुक का नाम, पता, टेलीफोन नंबर, उद्देश्य और मिलने वाले व्यक्ति, अंदर और बाहर समय, हस्ताक्षर सहित अंकित हों।
4) बच्चों के पहचान-पत्र हों। उनमें उनका नाम, कक्षा और अनुभाग, रक्त समूह, माता-पिता के नाम और मोबाइल नंबर के साथ बच्चे की तस्वीर होनी चाहिए। यदि बच्चा बस का उपयोग करता है, तो बस रूट संख्या भी अंकित की जानी चाहिए।
5) सभी बच्चों को पहचान पत्र अवश्य पहनना चाहिए, भले ही वे स्कूल बस से या किसी अन्य साझा परिवहन से यात्रा करें या साइकिल से या पैदल स्कूल जाएँ, या चाहे अन्य व्यवस्था द्वारा विद्यालय में आ रहे हों।
6) सभी स्टाफ सदस्यों (शिक्षण और गैर-शिक्षण) को पहचान-पत्र जारी किए जाने चाहिए और उन्हें अपने ड्यूटी घंटों के दौरान अनिवार्य रूप से पहनना चाहिए।
7) स्कूल की समुचित चारदीवारी होनी चाहिए। बस क्षेत्र, जिम, स्विमिंग पूल, खेल कक्ष/मैदान, कैंटीन, शौचालय, पार्किंग स्थल, छत आदि क्षेत्रों तक वही व्यक्ति पहुँचे जो वहाँ आने के लिए अधिकृत हों।
8) माता-पिता या अन्य आगंतुकों को स्कूल के घंटों के दौरान परिसर में घूमने की छूट नहीं दी जानी चाहिए और यदि उनका प्रवेश आवश्यक है (विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए), तो उन्हें उनके साथ ही रहना चाहिए।
9) इसी तरह, छात्रों को भी स्कूल के समय के दौरान परिसर में घूमने की खुली छूट नहीं होनी चाहिए और उन्हें यह समझना चाहिए कि कौन से क्षेत्र सीमा से बाहर हैं और किस समय उन्हें विशिष्ट क्षेत्रों में रहने की अनुमति है।
10) प्रत्येक कक्षा में खिड़कियाँ खुली होनी चाहिए जिससे कक्षा के अंदर का दृश्य देखा जा सके।
11) लड़कियों और लड़कों के लिए, शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों के लिए अलग-अलग शौचालय होने चाहिए। विशेष रूप से सहायक कर्मचारियों को बच्चों के लिए बने शौचालयों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
12) शौचालयों का प्रबंधन करने वाला स्टाफ केवल महिला होना चाहिए। शौचालय क्लीनर/परिचारक जैसी सहायक भूमिकाओं में कोई भी पुरुष कर्मचारी स्कूल परिसर में मौजूद नहीं होना चाहिए।
13) स्विमिंग पूल क्षेत्रों में विशेष देखभाल और अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। डूबने के किसी भी मामले को रोकने के लिए हर समय सख्त निगरानी जरूरी है। किसी भी समय किसी भी बच्चे को स्विमिंग पूल में या उसके आसपास अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
14) यदि बच्चों को स्कूल के बाद की गतिविधियों के लिए रुकना पड़ता है, तो उनके साथ शिक्षक के रूप में वयस्क प्रभारी होना चाहिए।
15) 'रेगुलेशन्स ऑन स्कूल सेफ्टी' में यह अनुशंसा की

गई है कि स्कूल यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करे कि स्कूल में किसी बच्चे की अनुपस्थिति को सुबह ही नोट कर लिया जाए जिससे दुर्घटना/अपहरण की स्थिति में यह जानना आसान हो जाए कि कौन से विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित थे। यदि कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो माता-पिता को स्कूल आरंभ होने के दस मिनट के भीतर शिक्षक को ईमेल या एसएमएस या अन्य तरीके से सूचित करना होगा।

16) स्कूल के घंटों के दौरान परिसर में प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, मजदूरों आदि के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, भले ही एक नई विंग का निर्माण किया जा रहा हो, जब तक कि किसी आपात स्थिति के कारण उनकी आवश्यकता न हो, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के साथ स्कूल व्यवस्थापक को रहना होगा। सभी कक्षाओं के दरवाज़े खुले होने चाहिए, किसी भी परिस्थिति में उन्हें लॉक नहीं किया जाना चाहिए।

सीसीटीवी कैमरे-

स्कूल में पर्याप्त सीसीटीवी कवरेज होना चाहिए। कैमरे को परिसर के सभी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करना चाहिए। विशेष ध्यान देने योग्य क्षेत्र इस प्रकार हैं:

1) स्कूल के प्रवेश/निकास (यदि पीछे कोई प्रवेश द्वार है, तो इसमें भी एक सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए)
2) सभी गलियारे और सीढ़ियाँ
3) पुस्तकालय, सभागार
4) लिफ्ट के भीतर
5) डाइनिंग हॉल, खेल-कक्ष, कंप्यूटर लैब
6) कक्षाओं में प्रवेश पर
7) शौचालय का प्रवेश द्वार पर
8) खेल के मैदान, स्विमिंग पूल
9) वह क्षेत्र जहाँ बसें इकट्ठी होती हैं
10) परिसर का प्रवेश और निकास बिंदु
11) बाहरी परिधि/दीवार पर कोई भी बिंदु जो असुरक्षित है।
12) कैमरे में बिंदु, झुकाव और ज़ूम क्षमता होनी चाहिए और फुटेज की रिकॉर्डिंग क्षमता कम से कम 45 दिनों की होनी चाहिए और रिकॉर्ड को कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए रखा जाना चाहिए।

'रेगुलेशनस ऑन स्कूल सेफ्टी' में सभी निजी विद्यालयों को संवेदनशील स्थानों पर तत्काल सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं। सरकारी स्कूलों के बारे में कहा गया है कि संवेदनशील स्थानों का सर्वे कर बजट की माँग की जाएगी।

निकटवर्ती क्षेत्र परिसर-

1) स्कूलों के निकटवर्ती क्षेत्र और सीमा में अनधिकृत विक्रेताओं, ठेलों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों को हटाया जाना चाहिए।
2) अधिकृत विक्रेताओं के पास स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा समर्थित लाइसेंस होना चाहिए।
3) स्कूल इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए ऐसे किसी भी मामले की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस स्टेशन को कर सकते हैं।

जागरूकता व प्रशिक्षण-

स्कूल से जुड़े सभी लोगों अर्थात् बच्चों, कर्मचारियों (शिक्षण/गैर-शिक्षण) और माता-पिता के बीच बाल सुरक्षा के संबंध में शामिल जोखिमों और इन्हें कम करने के लिए उठाए जा सकने वाले सरल निवारक उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना महत्त्वपूर्ण है। प्रशासनिक कर्मचारियों, सहायक कर्मचारियों आदि सहित पूरे स्कूल स्टाफ के लिए दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विशेष जरूरतों पर समय-समय पर संवेदीकरण और जागरूकता अभियान/सेमिनार/वार्ता आयोजित किये जाने चाहिए। सहायक कर्मचारियों को एकदम स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए कि बच्चों के साथ बातचीत करते समय उनके द्वारा बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि वे अपने काम के दौरान विशेष आवश्यकता वाले किसी बच्चे के बड़े बच्चों द्वारा अनुचित स्पर्श जैसी दुर्व्यवहार की किसी भी घटना को देखते हैं तो इसे तुरंत एसएससी के संज्ञान में लाने की आवश्यकता होती है।

विभाग द्वारा 'रेगुलेशन्स ऑन स्कूल सेफ्टी' के अन्तर्गत जारी निर्देशों में कहा गया है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम को डिज़ाइन करेगी ताकि आग और अन्य समान आपदाओं को रोकने और निपटने के लिए सुरक्षा उपायों पर इनपुट शामिल किया जा सके तथा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) भी शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए अपने पाठ्यक्रम को उचित रूप से संशोधित करने के लिए कदम उठाएँगे।

पुलिस से संवाद-

स्कूल परिसर में किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार या शारीरिक चोट के किसी भी मामले की सूचना मिलने पर, इसे तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन के ध्यान में लाना अनिवार्य है। पुलिस को सभी स्कूलों से आने वाली प्रत्येक कॉल को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है।

हेल्पलाइन-

प्रत्येक स्कूल में नोटिस-बोर्ड पर हेल्पलाइन नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा आवश्यकता पड़ने पर इस हेल्पलाइन से संपर्क कर सके।

हिंदी अध्यापिका
राजकीय माध्यमिक विद्यालय
सैक्टर- 25, पंचकूला

कैसे बचें नौनिहाल यौन शोषण से?

डॉ. यामिका

अगर किसी बच्चे के साथ किसी भी तरह का यौन संबंध बनाया जाता है या उसे इस काम के लिए उपयोग किया जाता है या उसे अश्लील सामग्री दिखाई जाती है तो यह बाल यौन शोषण कहलाता है। इसमें बच्चे की सहमति हो या न हो, कई बार अपराधी व्यक्ति अपनी यौन संतुष्टि के लिए ऐसा कर रहा हो या किसी और की यौन संतुष्टि के लिए, इस तरह के कृत्य को बाल यौन शोषण ही कहा जाएगा। बाल यौन शोषण या बच्चे पर यौन हमले का अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि उसके साथ बलात्कार ही हुआ हो। बच्चों के साथ कई तरह के यौन शोषण होते हैं। बलात्कार उनमें से एक है। बच्चे को अश्लील सामग्री दिखाना, अश्लील बातें, अश्लील इशारे करना आदि इसी श्रेणी में आते हैं। बच्चे दिन का लंबा समय विद्यालय में गुज़ारते हैं, इस दौरान भी वे कई प्रकार से यौन-शोषण का शिकार हो सकते हैं। वैसे तो यौन शोषण के शिकार लड़का या लड़की दोनों होते हैं, परंतु लड़कियों का शोषण होने की आशंका अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ यह खतरा और भी अधिक होता है।

विद्यालय सरस्वती के मंदिर हैं। इनकी पवित्रता बनाये रखना तो अध्यापकों का पहला कर्तव्य है ही, साथ ही उनका यह कर्तव्य भी है कि वे विद्यार्थियों को यौन शोषण के खतरों से जागरूक बनायें और यदि कोई इनका शिकार बन गया है तो उसकी हर प्रकार से मदद करें। 'बालिका मंच' की प्रभारी शिक्षिका पर इस संबंध में विशेष जिम्मेदारी है।

'गुड टच-बैड टच'-

छोटे बच्चों के प्रति बढ़ते अपराध का प्रमुख कारण बच्चों में जागरूकता की कमी होती है। माता-पिता अच्छी शिक्षा, खानपान और अच्छे संस्कार की व्यवस्था तो करते हैं, लेकिन बच्चों को गुड-टच और बैडटच के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझते। अधिकांश लोग संकोच के कारण कोई इस विषय पर बात नहीं करते, जिससे बच्चे सरलता से यौन-शोषण का शिकार हो जाते हैं।

दो या तीन साल के बच्चे को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बीच अंतर के बारे में बताया जाना चाहिए। गुड टच एक ऐसा स्पर्श है जिससे बच्चा सुखद और सुरक्षित महसूस करता है। यह स्पर्श बच्चों में मुस्कान पैदा करता है। उदाहरण के लिए माँ का स्नान कराना, गले लगाना, पिता का प्यार से सहलाना, माता-पिता की उपस्थिति में डॉक्टर द्वारा जाँच करना, खेलते वक्त दोस्त का हाथ पकड़ना। इन स्पर्शों से बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं। बैड-टच एक ऐसा स्पर्श है जिससे बच्चा असहज और बुरा महसूस करता है। जब बच्चों को उनकी अनुमति के बिना कोई गलत तरीके से उनके शरीर के विशिष्ट हिस्से को स्पर्श करता है और किसी को न बताने के लिए कहता है, तो यह बैड टच ही होता है। इस प्रकार का बुरा स्पर्श बच्चों को असहज करता है। वह उससे हमेशा बचना चाहते हैं, पर डर की वजह से बोल नहीं पाते। इसलिए माता-पिता और अध्यापकगण की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ही किसी विषम परिस्थिति में फँसने से पहले उनको अच्छे और बुरे स्पर्श का अंतर सिखायें। उन्हें असहज महसूस करने की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करें।

बच्चों को 'गुड-टच और बैड-टच' के बारे में बताना एक संवेदनशील कार्य है। परंतु बच्चों के साथ दोस्ताना संबंध रखकर ही हम उनको समझा सकते हैं। उन्हें यह समझाना आवश्यक है कि शरीर उनका है, कोई भी उनकी अनुमति के बिना उसे स्पर्श नहीं कर सकता। छोटी बच्चियों का आत्मविश्वास बढ़ाना सबसे जरूरी है। बच्चों के मन से डर दूर करें, उन्हें 'न' कहना सिखायें।

अजनबियों से बचाव-

छोटी उम्र के बच्चों, यहाँ तक कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को भी अजनबियों से सावधान रहने और कभी भी अजनबियों से बात न करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें बताया जाना चाहिए कि कभी भी किसी अजनबी के साथ कहीं न जाएँ, भले ही उन्हें बताया जाए कि माता-पिता ने उन्हें अमुक कारण से उन्हें लेने के लिए कहा था। अजनबी उन्हें मिठाई/आइसक्रीम का लालच दे सकते हैं और उन्हें इस जाल में नहीं फँसना चाहिए।

चिल्लाओ, भागो और बताओ-

अपने बचाव का यह सरल मंत्र हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। इसमें बताया जाता है कि अगर कोई आपको छूता है या आपको छूने के लिए इस तरह से करीब आता है जिससे आप असहज हो जाते हैं या डर जाते हैं तो क्या करना चाहिए। पहला कदम जोर से चिल्लाना है (इसका दोहरा उद्देश्य आस-पास के किसी भी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करना है और साथ ही अपराधी को यह स्पष्ट संदेश देना है कि वह इससे बच नहीं सकता है और उसे तुरंत रुक जाना चाहिए)। दूसरा चरण, जितना तेज हो सके दौड़ें, ताकि आपके और अपराधी के बीच अधिकतम दूरी बनी रहे। तीसरा चरण, इस बारे में अपने शिक्षक/मित्र/माता-पिता से अवश्य बात करें ताकि कार्रवाई की जा सके।

परिचितों द्वारा यौन-शोषण-

बाल यौन दुर्व्यवहार लिंग, वर्ग, जाति, समुदाय तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र अदि को नहीं देखता अर्थात् कोई भी बच्चा कहीं भी इसका शिकार हो सकता है। यौन दुर्व्यवहार के अधिकांश मामलों में शोषणकर्ता वह व्यक्ति होता है जिसे बच्चे जानते और उस पर विश्वास करते हैं। अधिकांश मामलों में दुर्व्यवहार करने वाले बच्चे के बहुत करीबी होते हैं। कई मामलों में दुराचारी बच्चों के बहुत

करीबी, जैसे- उसका पिता, बड़े भाई, चचेरा भाई, चाचा या पड़ोसी होते हैं।

यौन-शोषण के शिकार बच्चे इतने डरे हुए होते हैं कि वे यौन दुर्व्यवहार के बारे में कुछ कहने से घबराते हैं। पीड़ित कितने साल का है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दुराचारी हमेशा बलवान होता है। दुराचारी के साथ पीड़ित का तालमेल नहीं होता और वह उस होने वाली प्रक्रिया या दुर्व्यवहार को रोकने में अक्षम होता है। यदि शोषणकर्ता परिवार का सदस्य हो तो पीड़ित किसी से कह भी नहीं सकता। प्रायः माताएँ जो दुर्व्यवहार के बारे में जानती हैं उसे रोकने की स्थिति में नहीं होतीं, क्योंकि वह भी शक्तिहीनता के कारण मूक बनी रह जाती है। परिवार बिखरने या अन्य सदस्यों द्वारा उनकी बात पर विश्वास नहीं करने के कारण वे चुप हो जाती हैं। बच्चों के यौन दुर्व्यवहार की बात को उनके माता-पिता, परिवार के सदस्य या समाज भी अनदेखी कर देता है।

दुर्व्यवहार के बारे में बच्चों द्वारा प्रकट किए गए अधिकांश मामले सही होते हैं। समाज द्वारा बच्चों के साथ हुए व्यभिचार/यौन दुर्व्यवहार के मामले को काल्पनिक कहानी मानकर पीड़ित बच्चे को ही दोष देना, समस्या का समाधान नहीं है।

बच्चे भोले-भाले और संवेदनशील होते हैं। यौन संबंध के बारे में उन्हें बहुत ही कम जानकारी होती है। अतः उन्हें वयस्कों की प्रतिक्रियाओं के लिए कदापि जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यहाँ तक कि यौन संबंध के बारे में जानकारी होने के बावजूद इस प्रकार के दुर्व्यवहार के लिए बच्चों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यौन-दुर्व्यवहार के लिए पीड़ित को दोषी ठहराना सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से बचना है। जब बच्चे इस दुर्व्यवहार के बारे में बताते हैं तो उनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। विद्यालय में बच्चों को अपने साथ हुए ऐसे दुर्व्यवहार के बारे में किसी विश्वसनीय वयस्क के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

दमन का उन्मूलन-

कई बच्चे दुर्व्यवहार या यौन-शोषण को सहते रहते हैं, लेकिन उसकी शिकायत नहीं करते। उनका मानना है कि रिपोर्ट करने पर वे परेशानी में पड़ सकते हैं या उन्हें ही डाँट पड़ सकती है। इसलिए वे चुप रहना पसंद करते हैं। उन्हें कोई डरा भी सकता है कि यदि उन्होंने किसी को बात बताई तो उन्हें नुकसान पहुँचाया जाएगा या जान से मार दिया जाएगा। उन्हें ऐसी धमकियाँ देकर ब्लैकमेल किया जा सकता है। अधिकतर बच्चे स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि जब कोई उनका शारीरिक शोषण करने की कोशिश करता है, तो कुछ गलत होता है। हालाँकि, उनके मासूम दिमागों को यह स्पष्ट नहीं है कि गलत काम करने वाला कौन है। उन्हें यह स्पष्ट नहीं है कि समस्या उनके साथ नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्ति के साथ है, इसलिए गलती से मान लेते हैं कि वे समस्या का हिस्सा हो सकते हैं और इसलिए चुप रहते हैं। अतः उनमें इस बारे जागरूकता पैदा करना अत्यावश्यक है। हालांकि इस

बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनमें इतना आतंक न पैदा हो कि वे रोजमर्रा की साधारण जिंदगी में भी डरने लगें, लेकिन यह आवश्यक है कि उन्हें कुछ बुराइयों के बारे में पर्याप्त जानकारी दी जाए जो छिपी हुई है और उन्हें बताना होगा कि वे स्वयं उन्हें रोकने के लिए वे क्या कर सकते हैं।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सुरक्षा-

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ दुर्व्यवहार विशेषकर यौन शोषण का जोखिम कहीं अधिक होता है, क्योंकि उन्हें निम्नलिखित कारणों से सॉफ्ट टारगेट के रूप में देखा जाता है-

1) खतरे की सीमित समझ और यौन व्यवहार की सीमित समझ के कारण उन्हें अक्सर पता नहीं चलता कि वे दुर्व्यवहार के शिकार हैं:
2) गतिशीलता की कमी।
3) अपनी कई जरूरतों के लिए वयस्कों पर अत्यधिक निर्भरता।
4) विभिन्न प्रकार की देखभाल करने वालों और देखभाल की व्यवस्था का होना।
5) धुलाई और शौचालय जैसी अंतरंग देखभाल की आवश्यकता।
6) भले ही वे जागरूक हों, लेकिन खराब संचार कौशल, सीमित मौखिक क्षमता के कारण उनके द्वारा इसकी रिपोर्ट करने की संभावना कम है।
7) विश्वास न किए जाने का डर, क्योंकि वे अक्सर कमज़ोर आत्मविश्वास, कम आत्मसम्मान, अलगाव की भावना व शक्तिहीनता से भरे होते हैं।

तदनुसार, यदि किसी स्कूल में कोई विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हों तो उन्हें यौन-शोषण से बचाने के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए।

गाँव- नेहरूगढ़
तहसील-नाहड़, ज़िला-रेवाड़ी, हरियाणा-123303

साइबर खतरों से बच्चों का बचाव

सुरेश राणा

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई है। इसने हमारे बातचीत करने, मित्र बनाने, जानकारी को साझा करने, गेम्स खेलने, खरीददारी करने इत्यादि के तरीके को बदल दिया है। प्रौद्योगिकी का हमारे दैनिक जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा है।

हमारी नई पीढ़ी बहुत ही युवा-अवस्था में साइबर स्पेस से रूबरू हो रही है। ज्यादा-से-ज्यादा बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेलने, मित्र बनाने के लिए तथा सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रयोग करने में अपना अधिकांश समय व्यतीत कर रहे हैं। वास्तव में स्मार्ट फोन से सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन गेम्स, शॉपिंग इत्यादि का दायरा व्यापक हो गया है। साइबर स्पेस हमें वास्तव में विश्व भर के करोड़ों ऑनलाइन यूज़र से जोड़ता है। साइबर स्पेस के बढ़ते उपयोग के साथ-साथ साइबर अपराधों में भी काफी तेज़ गति से वृद्धि हुई है।

बच्चों को इससे बहुत अधिक खतरा है, क्योंकि वे साइबर स्पेस से जुड़े खतरों एवं सुरक्षा उपायों की सीमित समझ रखते हैं। बच्चे सहज रूप में नये-नये प्रयोग करना चाहते हैं, नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं तथा नई-नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करना चाहते हैं। इसे बुरा नहीं कहा जा सकता, किंतु बच्चों को उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान किया जाना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है ताकि वे साइबर तकनीक के प्रतिकूल प्रभाव या साइबर-खतरों से बच सकें।

साइबर बुलिंग-

साइबर बुलिंग उन साइबर खतरों में से एक है जिनका सामना बच्चों और युवाओं द्वारा किया जा रहा है। यद्यपि साइबर बुलिंग से कोई भी प्रभावित हो सकता

है, परन्तु साइबर खतरों के बारे में सीमित समझ होने के कारण बच्चे आसानी से साइबर बुलिंग का शिकार हो जाते हैं। साइबर बुलिंग से तात्पर्य इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके असभ्य, घटिया या तकलीफदेह संदेश, टिप्पणियाँ और इमेज/वीडियो भेजकर किसी को जानबूझकर तंग करना या डराना धमकाना है। किसी साइबर बुली द्वारा दूसरों को डराने धमकाने के लिए टेक्स्ट मेसेज, ई-मेल, सोशल मीडिया प्लेटफार्म, वेब पेज, चैट रूम आदि का प्रयोग किया जाता है। क्या आप जानते हो कि शुरू में तो हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि कोई हमें ऑनलाइन बुली कर रहा है? साइबर बुली कोई जानकार व्यक्ति, दोस्त, रिश्तेदार या ऐसा अनजान व्यक्ति भी हो सकता है जिससे हम सोशल मीडिया प्लेटफार्म या चैट रूम, गेमिंग पोर्टल आदि पर ऑनलाइन मिले हों। बच्चों के प्रति साइबर बुलिंग के परिणाम कई प्रकार के होते हैं। ये शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक परिणामों के रूप में हो सकते हैं जिससे न केवल विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन, बल्कि काफी हद तक उनका दैनिक जीवन भी प्रभावित होता है।

बच्चों को बताया जाना चाहिए कि जागरूकता और सावधानी से आप बिना किसी डर के इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। आपको सतर्क होने और स्वयं को और अपने दोस्तों को साइबर बुलिंग से बचाने के लिए सुरक्षा-उपायों का अनुपालन करने की जरूरत है। यदि कोई आपको डरा धमका रहा है तो तत्काल अपने माता-पिता/बड़ों को सूचित करें। यह न सोचें कि आपके माता-पिता आपके ऑनलाइन कार्यकलापों को प्रतिबंधित कर देंगे या आपसे कंप्यूटर/स्मार्टफोन का उपयोग न करने के लिए कहेंगे। उन्हें सूचित करना महत्त्वपूर्ण है ताकि वे आपकी सहायता व मार्गदर्शन करें। पूरी बात स्पष्ट रूप से आपने माता-पिता/

बड़ों को बताएँ। (स्रोत : साइबर सुरक्षा पर किशोर छात्रों के लिए पुस्तिका, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।)

साइबर ग्रूमिंग-

साइबर ग्रूमर जाली अकाउंट बनाकर बच्चे जैसा ही व्यवहार करता है अथवा बच्चे के जैसे ही शौक रखकर गेमिंग वेबसाइट, सोशल मीडिया, ई-मेल, चैट रूम, इंस्टेंट मेसेजिंग इत्यादि का प्रयोग कर सकता है। बहुत से लोगों को यह एहसास भी नहीं होता है कि कोई हमें ऑनलाइन ग्रूम कर रहा है? ऑनलाइन ग्रूमर कोई परिचित व्यक्ति, रिश्तेदार अथवा ऐसा कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकता है जिससे हम सोशल मीडिया प्लेटफार्म, चैट रूम अथवा गेमिंग पोर्टल इत्यादि पर ऑनलाइन मिले हों।

प्रारंभ में साइबर ग्रूमर आपकी प्रशंसा कर सकता है, उपहार, मॉडलिंग जॉब का प्रस्ताव दे सकता है। बाद में वह भद्दे मैसेज, फोटोग्राफ अथवा वीडियो भेजना शुरू कर सकता है और आपसे आपकी अश्लील तस्वीरें अथवा वीडियो उनसे साझा करने को कह सकता है।

ऑनलाइन ग्रूमर अधिकतर किशोरों को लक्षित करते हैं, क्योंकि किशोरावस्था में उनमें कई शारीरिक, व्यक्तिगत तथा सामाजिक परिवर्तन होते हैं। किशोरों की आवेगशील तथा जिज्ञासु प्रवृत्ति उन्हें ऑनलाइन गतिविधियों में लगे रहने की ओर प्रोत्साहित करती है जिससे वे ऑनलाइन ग्रूमिंग के शिकार हो जाते हैं। साइबर ग्रूमिंग का बच्चे की शारीरिक, भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक दशा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह न केवल उनकी शैक्षिक उपलब्धियों को प्रभावित करता है अपितु उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को भी काफी हद तक प्रभावित करता है। ऑनलाइन ग्रूमिंग के हानिकारक प्रभाव कई बार दीर्घावधि तक रहते हैं और पीड़ित को उनकी युवावस्था में भी परेशान करते हैं।

बच्चों को बताया जाना चाहिए कि यदि आप साइबर ग्रूमिंग के शिकार हैं तो बिना देरी किए अपने बड़ों को सूचित करें ताकि वे हस्तक्षेप करके आपकी सहायता कर सकें।

साइबर स्टॉकिंग-

ऑनलाइन माध्यम से की गयी छेड़खानी को साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। जब ऑनलाइन माध्यम का प्रयोग करके किसी को परेशान करने के लिये ई-मेल या मैसेज भेजा जाता है तो उसे साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। इस समस्या से भारत जैसे विकासशील देश ही नहीं, बल्कि अमेरिका एवं ब्रिटेन जैसे विकसित देश भी पीड़ित हैं। इस समस्या के पीड़ितों में युवतियों एवं बच्चों का प्रतिशत लगभग तीन-चौथाई (75 प्रतिशत) है जबकि 25 प्रतिशत पीड़ित पुरुष हैं। इस उदाहरण से साबित होता है कि साइबर स्टॉकिंग की समस्या से महिलाओं एवं बच्चों के साथ पुरुषों को भी दो-चार होना पड़ता है।

ऑनलाइन गेमिंग-

आजकल अनेक बच्चे ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटी

में शामिल हो रहे हैं। वे मोबाइलों, कंसोलों, कम्प्यूटरों, पोर्टेबल गेमिंग यंत्रों और सोशल नेटवर्कों पर ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। गेमिंग कन्सोल्स कम्प्यूटर की तरह कार्य करते हैं जिसमें आपको अकाउंट बनाना होता है। लॉग-इन करके हैडसेट लगाकर, वेब कैम या अन्य यंत्रों का उपयोग करना होता है। आप केवल करोड़ों यूजर्स के साथ ऑनलाइन गेम ही नहीं खेलते बल्कि उनसे बातचीत भी करते हैं, अपने विचार साझा करते हैं, दोस्त बनाते हैं, ग्रुप में शामिल होते हैं इत्यादि। एक समय में करोड़ों प्लेयर्स ऑनलाइन गेम खेलते हैं। ऑनलाइन गेम्स मनोरंजक हो सकते हैं, परंतु इनके साथ जुड़े हुए जोखिम भी हैं।

बच्चों को बताया जाना चाहिए कि ऑनलाइन गेम्स के साथ स्पैम, वाइरस, अवांछित सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड हो जाएँगे जो आपके कम्प्यूटर, मोबाइल फोन या गेमिंग कंसोल को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं। प्रख्यात साइट्स से गेम डाउनलोड करना ही सही है। कभी भी अवैध गेम्स और सॉफ्टवेयर डाउनलोड/इंस्टाल न करें। जानकारी और सावधानी के साथ आप सुरक्षित ढंग से ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। वैसे तो उन्हें ऑनलाइन गेम्स छोड़कर आउटडोर गेम्स खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए जहाँ वे प्रकृति की गोद में खेलने से अपनी मांसपेशियों को मज़बूत बनाते हैं। आउटडोर गेम्स ही समग्र रूप से उनके व्यक्तित्व के विकास में मददगार होते हैं।

बच्चों को इंटरनेट पर अजनबियों को व्यक्तिगत विवरण का शेयर न करना सिखाना चाहिए। इन अजनबियों की अपनी पहचान झूठी हो सकती है। अपराधी प्रवृत्ति के ये लोग छोटे बच्चों को सरलता से अपने जाल में फँसा लेते हैं। बच्चों को इस बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। उन्हें ऐसे किसी भी संपर्क से, जहाँ वे असहज होते हैं, माता-पिता के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि माता-पिता उन्हें समझदार निर्णय लेने में मार्गदर्शन कर सकें। स्कूली बच्चों या स्कूली बच्चों से जुड़े कर्मचारियों द्वारा अवांछनीय/आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार, इंटरनेट/साइबरबुलिंग/फेसबुक/ट्विटर/यूट्यूब आदि पर दुरुपयोग के खिलाफ बच्चों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, स्कूलों में स्कूल समय के दौरान या उसके बाद स्कूली बच्चों या कर्मचारियों द्वारा इलेक्ट्रानिक/टेलीफोनिक मीडिया के दुरुपयोग के खिलाफ, जो अश्लील ईमेल/टेक्स्ट/वीडियो आदि भेज सकते हैं, के बारे में भी जागरूक किया जाना चाहिए।

अध्यापकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए-

- क्या कंप्यूटर कक्षों में छात्रों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और तकनीकी उपकरणों के उपयोग की निगरानी उनके शिक्षकों द्वारा की जाती है?
- क्या स्कूल के कंप्यूटरों में सोशल नेटवर्किंग साइटें ब्लॉक हैं?
- क्या छात्रों को नियमित रूप से प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग और जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने के बारे में शिक्षित किया जाता है, यथा- मोबाइल, एसएमएस, एमएमएस, इंटरनेट, मेल या नेट चैट का समझदारी से उपयोग, साहित्यिक चोरी का प्रभाव आदि?
- क्या छात्रों को साइबर दुरुपयोग, धमकाने, उत्पीड़न आदि पर कानूनों के तहत अपनी जिम्मेदारियों, परिणामों को समझने के लिए शिक्षित किया गया है?
- क्या बच्चे साइबर दुरुपयोग या अपराध की स्थिति में पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं और कानूनी ढाँचे के भीतर निर्धारित कदमों की जानकारी रखते हैं?
- क्या साइबर अपराधों को संवेदनशीलता और गोपनीयता से निपटाया जाता है?

हिंदी प्रवक्ता
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय
मुर्तजापुर, खंड- पेहोवा, कुरुक्षेत्र

बच्चों को दें आत्मरक्षा प्रशिक्षण

प्रदीप कुमार

आत्मरक्षा यानी स्वयं अपनी रक्षा आप करना। अनेक बार ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं, जब सुरक्षा करने वाला अन्य कोई पास नहीं होता, ऐसे वक्त में आत्मरक्षा की तकनीक ही काम आती है। जहाँ तक आत्मरक्षा-प्रशिक्षण की बात है, वह तो लड़के और लड़कियों, दोनों के लिए हो सकता है। लेकिन इस प्रशिक्षण की ज्यादा आवश्यकता लड़कियों को होती है क्योंकि उनके संकट की स्थिति में आने की आशंका काफी अधिक होती है। लड़कियों के साथ दुराचार, हिंसा, छेड़छाड़ आदि के मामले हर रोज के समाचारों में छाए रहते हैं। वक्त बदला है, लड़कियाँ पहले की बजाय अपने अधिकारों के बारे में अधिक जागरूक हुई हैं, जीवन के हर क्षेत्र में वे लडकों के साथ कंधे से कंधा मिला कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं। लेकिन उपरोक्त नकारात्मक समाचार घटने के स्थान पर बढ़ते ही जा रहे हैं। सच कहें तो लड़कियों के ड्रॉप-आउट होने के अनेक कारणों में से एक जवान बेटी की सुरक्षा की चिंता भी है। लड़कियों के बारे में यह धारणा है कि वे शारीरिक रूप से लडकों से कमज़ोर होती हैं, वे विरोध नहीं करतीं और अपने पर हो रहे अन्याय को सहन करती रहती हैं। अगर विरोध करें तो उनका मुँह ताकत से बंद किया जा सकता है। उनके बारे में यही धारणा अत्याचार करने वालों के हौसले को बुलंद करती है। कहने को हमारे समाज में पुलिस है, न्यायपालिका है, लेकिन देखा जाए

तो इन सबका काम प्रायः उस समय आरंभ होता है जब वारदात घट चुकी होती है। अमूमन वारदात के समय लड़की अकेली होती है। अगर उस संकट की स्थिति में वह बराबरी की चोट पहुँचाने का और आत्मरक्षा का हुनर रखती हो तो निश्चित रूप से परिणाम कुछ अलग होगा। इस कारण लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाना अत्यावश्यक है।

विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा के 'रेगुलेशन ऑन स्कूल सेफ्टी' में यह अनुशंसा की गई है कि स्कूल अपने पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए आत्मरक्षा कक्षाएँ आयोजित करें और सुनिश्चित करें कि प्रत्येक बच्चा आत्मरक्षा के कुछ बुनियादी रूपों से अवगत हो।

प्रदेश की बेटियाँ ले रही हैं आत्मरक्षा प्रशिक्षण-

प्रदेश के विद्यालयों में बीते कई वर्षों से स्कूल समय में ही कक्षा छठी से बारहवीं की लाखों छात्राओं को 'रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण' दिया जा चुका है, जिसके काफी सकारात्मक परिणाम दिखने आरंभ हो गए हैं। 'समग्र शिक्षा' के तहत प्रदेश में स्कूली लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सत्र 2012-13 में आरंभ हुआ। आरंभ में यह कार्यक्रम विद्यालय स्तर पर नौवीं से बारहवीं की छात्राओं के लिए था, बाद में इसे छठी से बारहवीं कक्षा की लड़कियों के लिए किया गया। किशोरियों की सुरक्षा व उनके प्रति बढ़ते अपराधों को कम करने की दिशा में यह प्रशिक्षण महत्त्वपूर्ण भूमिका

निभा रहा है। आत्मरक्षा कार्यक्रम को केवल लड़कियों तक इसलिए सीमित किया गया है, क्योंकि लड़कियों के बारे में ऐसी अवधारणा है कि वे 'अबला' हैं। यह कार्यक्रम तथाकथित 'अबला' को 'सबला' में परिवर्तित करने के लिए है। इस कार्यक्रम का नाम 'रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण' मंत्रालय द्वारा विशेष अभिप्राय से रखा गया है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेते ही युद्धभूमि में घोड़े पर सवार होकर दोनों हाथों में तलवारें लहराती हुई, शत्रुओं का मान-मर्दन करती हुई वीरांगना की छवि मन में उभरती है। रानी लक्ष्मीबाई नारी शौर्य और नारी सशक्तीकरण का प्रतीक है। 'रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण' कार्यक्रम का भी यही उद्देश्य है कि हमारी बेटियाँ भी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएँ बनें। इसी हौसले के साथ प्रदेश की बेटियाँ आत्मरक्षा का प्रशिक्षण ले रही हैं। बेटियाँ हमारी सौगात हैं। उन्हें फूल सी नाजुक नहीं, फौलाद सी मजबूत बनाने की आवश्यकता है, ताकि कोई असामाजिक तत्त्व उनकी ओर नजर उठाने की हिम्मत न कर पाए। यह प्रशिक्षण उन्हें शारीरिक रूप से ही सबल नहीं बना रहा, बल्कि मानसिक सबलता भी प्रदान कर रहा है। मानसिक सबलता मन के भीतरी शत्रुओं, जैसे क्रोध, भय, अनिष्ट की आशंका, तनाव व हताशा आदि पर भी विजय प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इस कार्यक्रम के तहत प्रतिद्वन्द्वी से रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के ब्लॉक सिखाए जाते हैं। हाथ, कोहनी, टाँग और पैर से चेहरे, जबड़े तथा विभिन्न अंगों पर प्रहार करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रतिद्वन्द्वी को चकमा देना (डॉजिंग) भी सिखाया जाता है ताकि उसके प्रहार से बचकर प्रत्याक्रमण किया जा सके। 'आत्मरक्षा-कार्यक्रम' में लड़कियों को विषम व संकटपूर्ण स्थितियों में अपने बचाव के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें वे तरीके व तकनीक सिखाई जाती हैं जिनके माध्यम से वे उपलब्ध सामान जैसे चाबी का गुच्छा, दुपट्टा, मफलर, बस्ता, पेन-पेंसिल, जूते, सैंडिल, हेयरपिन, नोटबुक आदि को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर सकती हैं। पास में अगर कुछ भी न हो तो वे अपने शरीर के अंगों को ही शस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकों का संयोजन वैसे ही होता है जैसे किसी शब्द में विभिन्न वर्णों का संयोजन। जैसे वर्णों के उचित संयोजन से ही शब्द सार्थक बनता है, वैसे ही विभिन्न तकनीकों का संयोजन ही रक्षण व आक्रमण को पैना बनाता है। यह कार्यक्रम बेटियों में आत्मविश्वास जगा रहा है, जो जीवन में पग-पग पर उनके लिए आवश्यक है। जीवन की अन्य समस्याओं का मुकाबला वे अपेक्षाकृत अधिक सहजता व सबलता से कर पा रही हैं। सच तो यह है कि इस कार्यक्रम के बाद छात्राएँ एक अनूठा सकारात्मक परिवर्तन अपने भीतर महसूस कर रही हैं। उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, वे अपने ही एक नये रूप से परिचित हो रही हैं।

एसोसिएट कंसलटेंट
हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद

कानूनी साक्षरता भी है ज़रूरी

स्कूलों में कानूनी साक्षरता क्लब बनाए जाते हैं, जिनके माध्यम से छात्रों को भारत के संविधान के तहत उनके कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया जाता है। स्कूल सुरक्षा नीति, पोस्को-अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को कवर करने वाले कानून के अन्य प्रावधानों और मोटर वाहन अधिनियम के सड़क सुरक्षा प्रावधानों के प्रासंगिक पहलुओं पर छात्रों के साथ चर्चा की जाती है, ताकि उन्हें जागरूक और सतर्क किया जा सके।

हरियाणा में कानूनी साक्षरता कार्यक्रम-

हरियाणा में कानूनी साक्षरता कार्यक्रम काफी सफलता से चल रहा है। प्रदेश के 3349 राजकीय विद्यालयों में व सभी निजी विद्यालयों में 'लीगल लिटरेसी क्लब' बनाये गये हैं, जिनके माध्यम से विद्यार्थियों को कानूनी साक्षरता दी जा रही है। यह कार्यक्रम 2009 से हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से विद्यार्थियों को मानवाधिकार, मौलिक कर्तव्य, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार, निराश्रित महिलाओं और बच्चों के अधिकार, नशा मुक्ति, कन्या भ्रूण हत्या, स्वच्छता और सामान्य जागरूकता, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम- 2005, दहेज निषेध, यौन उत्पीड़न, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, पर्यावरण, संवैधानिक मूल्यों, सड़क सुरक्षा, बाल विवाह, रैगिंग, वरिष्ठ नागरिकों का अधिकार जैसे विषयों पर जागरूक करने के उद्देश्य से एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है।

निदेशालय में कार्यक्रम प्रभारी श्रीमती पूनम अहलावत ने 'शिक्षा सारथी' को बताया कि विद्यालय शिक्षा विभाग बड़ी सफलता के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं, बैठकों आदि के आयोजन के माध्यम से छात्रों और जनता को कानूनी-जागरूकता के लिए सतत प्रयास कर रहा है। कानूनी साक्षरता के अन्तर्गत 2015-16 से 'कानूनी दिशाएँ' नामक एक नया कार्यक्रम भी आरंभ किया गया था, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता जागरूकता, वित्तीय साक्षरता, पुलिस-सार्वजनिक सहयोग आदि विषय लिये गये थे।

उन्होंने बताया कि इसके अन्तर्गत प्रदेश के कक्षा 9वीं से 12वीं के सभी निजी व सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भाग लेते हैं। विद्यार्थी निम्न प्रतियोगिताओं/गतिविधियों में विद्यालय, खंड, जिला, मंडल और राज्य स्तर पर भाग लेते हैं- 1.निबंध लेखन, 2.नारा लेखन, 3.भाषण, 4.कानूनी मुद्दों पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, 5. बहस, 6. प्रहसन, 7. कवितोच्चारण, 8.ऑन द स्पॉट पेंटिंग, 9.पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन, 10. सामाजिक मुद्दों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म। प्रतियोगिताओं के विषय वही होते हैं जिनका पूर्व में उल्लेख किया गया है। इनमें खंड, जिला, मंडल और राज्य स्तर पर नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। हर वर्ष करीब 10 लाख विद्यार्थी इन प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं।

- शिक्षा सारथी डेस्क

प्यारे बच्चो!

'बाल सारथी' आपका अपना पन्ना है। हम चाहते हैं कि इसमें आपकी रचनाओं को स्थान दिया जाए। आपने कोई मौलिक कविता, कहानी या अन्य विधा की रचना लिखी हो तो अपने अध्यापक की सहायता से हमें ई-मेल या डाक द्वारा भेजें। आपकी रचनाओं को प्रकाशित करके हमें प्रसन्नता मिलेगी।

'बाल सारथी' आपको कैसा लगा, जरूर लिखना। अगले अंक में ज्ञान-विज्ञान और मनोरंजन की सामग्री लेकर फिर आपसे मिलूँगी।

- आपकी यामिका दीदी

जानिए यह भी

1. भारतीय डाक टिकट पर छपने वाली प्रथम महिला का क्या नाम है?
2. माफिया शब्द का जन्म किस देश में हुआ?
3. कपिल देव के टेस्ट क्रिकेट जीवन का अंतिम शिकार कौन खिलाड़ी था?
4. नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है?
5. विश्व में पर्यटन से सर्वाधिक आय किस देश को होती है?
6. टूथब्रश का इस्तेमाल सबसे पहले किस देश में हुआ?

उत्तर : 1- मीराबाई 2- इटली 3- एडम परोरे (न्यूज़ीलैंड) 4- वॉन सटनर (आस्ट्रिया) 5- अमेरिका 6- चीन,

विनय मोहन खारवन,
गणित प्राध्यापक
राकवमावि, जगाधरी, यमुनानगर

पहेलियाँ

1- लोग कहें सब इसे डाकिया,
पर है प्यारा पक्षी।
अपना रास्ता कभी न भूले,
यही बात है अच्छी।।

2-मैं हूँ एक शिकारी पक्षी,
बहुत तेज है चाल।
बहुत तेज मैं उड़ता जाता,
यह है एक कमाल।।

3-पेड़ों पर मैं रहने वाली,
भूरा काला रंग।
चार अक्षर मेरे नाम में,
आते हैं हरदम।।

4- मैं पँछी हूँ एक अनोखा,
अजब हैं मेरे ढंग।
अपने घर को रोशन करता
जुगनुओं के संग।

5- अजब निराला मैं हूँ पँछी,
मरे हुए को खाऊँ।
रेड डाटा बुक में नाम है मेरा
बोलो क्या कहलाऊँ?

उत्तर 1-कबूतर, 2-बाज, 3-गिलहरी, 4-बया पंछी, 5- गिद्ध

डॉ. कमलेंद्र कुमार
रावगंज, कालपी, जिला जालौन
उत्तर प्रदेश- 285204

भोजन को दूषित करती हैं मक्खियाँ

प्यारे बच्चो! घरेलू मक्खियाँ भले ही हमें काटती नहीं हैं, लेकिन उनके पैरों और शरीर पर रोगाणु रहते हैं। अपनी लार से भी ये खाद्य पदार्थों को दूषित करती हैं। मज़ेदार बात यह कि इन मक्खियों के दाँत नहीं होते। वे हमारे भोजन का एक टुकड़ा चबाकर नहीं खा सकती हैं, इसलिए उन्हें कुछ एंजाइम युक्त लार थूकना पड़ता है जो कि भोज्य पदार्थ को घोल देता है, जिससे उन्हें तरल पदार्थ को चूसने की सुविधा होती है। यदि मक्खी के पास हमारे भोजन पर घूमने, उल्टी करने, चूसने और शौच करने के लिए पर्याप्त समय है, तो यह मान लो कि बैक्टीरिया का हमला हम पर होने ही वाला है। हम तो काम करते रहते हैं और ये हमारी दृष्टि से चट ओझल हो जाती हैं और भोजन पर कुछ मिनट तक उल्टी और मल-त्याग करती रहती हैं। जितना अधिक समय बीतता है, मक्खियों द्वारा छोड़े गए रोगाणु के हमारे भोजन पर और बढ़ने की आशंका उतनी ही अधिक होती है।

बच्चो! जब आप किसी ठेले से खाने का सामान खरीदते हैं तो अक्सर उस पर मक्खियाँ बैठी होती हैं। ऐसी वस्तुओं को खाने से बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है।

संदीप पांडे 'शिष्य', अजमेर

चूहों की विचित्र दुनिया

चूहे खरगोश और गिलहरियाँ की भाँति ऐसे जीव (rodents) हैं जिनके दाँत हमेशा बढ़ते रहते हैं। इसीलिये वे हमेशा कुतरते रहते हैं, ताकि इनके दाँत छोटे रहें। अगर वे लगातार अन्य चीजें कुतरे नहीं तो उनके दाँत बहुत बढ़ जाएँगे। इसलिये उन्हें जो कुछ भी मिलता है चाहे टीन, प्लास्टिक या सीमेंट, वे कुतरते रहते हैं।

चूहों के दाँत इतने ज्यादा मज़बूत होते हैं कि वे सीमेंट और धातु जैसी चीजों को भी कुतर सकते हैं। इसलिये चूहों को सुरंग बनाने से रोकने के लिये सीमेंट में काँच के तीखे टूटे हुए टुकड़े मिलाए जाते हैं।

चूहे रस्सियों पर चल सकते हैं। संतुलन बनाने के लिये वे अपनी लम्बी पूंछ का इस्तेमाल करते हैं।

चूहे संकरी से संकरी जगह में से रेंग कर जा सकते हैं। अगर वे किसी तरह अपना सिर घुसा लें, बाकी शरीर अंदर पहुँच ही जाता है। जब वे अपने पिछले पैरों पर खड़े होते हैं, वे अपने शरीर को पूँछ की मदद से सहारा देते हैं।

चूहों की आँखें कमज़ोर होती हैं। वे ढूँढ़ने के लिये दीवार या जमीन को अपनी लम्बी मूँछों से छूकर महसूस करते रहते हैं।

चूहे सड़ा हुआ खाना खाने पर भी बीमार नहीं पड़ते। चूहों को ठंड से भी कोई फर्क नहीं पड़ता।

(साभार : विकासपीडिया)

हाथी

काला हाथी बहुत बड़ा,
उसकी पीठ पर मै चढ़ा ।

कान हिलाकर वह चला,
ऊपर बैठा मैं हिला।

झुम-झूम कर वह चला,
ऊपर से मैं नीचे गिरा।

सूँड उठाकर किया सलाम,
घर पर जाकर करो आराम।

गुरदीप उरलाना
राजकीय प्राथमिक पाठशाला
ताराँवाली,
सीवन, कैथल, हरियाणा

ओ री चिरैया

आ मेरे आँगन में आजा
मुझसे भी बतिया ले।
उड़ते-उड़ते थक जाती तू,
बैठ जरा सुस्ता ले।
गाले कोई गीत सुरीला
तू है बड़ी गवैया।
ओ री सुघर चिरैया!

कभी-कभी तू खूब चहकती,
आँगन में आ बैठे।
और कभी जा दूर मुंडेरी,
पर तू बैठे रूठे ।
मुझसे तो बतला क्यों रूठी?
ओ नटखट गौरैया।
ओ री सुघर चिरैया!

चीं-चीं करके मधुर स्वरों में,
कोई कविता बाँचे।
फुर्र इधर से फुर्र उधर तू,
सच में बड़ी फिरैया।
ओ री सुघर चिरैया!

कभी-कभी तू मिट्टी में ही,
लोट-पोट हो जाती।
कभी फुदकती, पर फैलाती,
आँखों को मटकाती।
थिरक थिरक कर नाच दिखाती,
तू है बड़ी नचैया।
ओ री सुघर चिरैया!

श्याम सुंदर श्रीवास्तव कोमल
व्याख्याता हिन्दी
अशोक हायर सेकेंडरी स्कूल
लहार, भिण्ड (मप्र)

प्रिय है रविवार

प्रिय है हम सबको रविवार,
इस दिन का रहता इंतजार।
स्कूल नहीं जाना है हमको,
प्रातः नहीं होना तैयार।

सुबह-सुबह मम्मी न बुलाएँ,
ना ही झट से ब्रश कराएँ।
नाश्ता करने की न जल्दी,
दोपहर में ही हम नहाएँ।

हम जो बोलें डिश बन जाएँ,
दिनभर खेलें झूमें गाएँ।
खेलें हॉकी और फुटबाल,
दोस्तों संग मजा मनाएँ।

पापा हमको मॉल घुमाएँ,
कई जगह वो हमें दिखाएँ।
पसंद की चीजें खाते हम,
ढेर खिलौने हम ले आएँ।

नानी घर रविवार बिताएँ,
बुआ के घर छुट्टी मनाएँ।
गाँव जाएँ दादा से मिलने,
अच्छी जगह हमें टहलाएँ।

लाल देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
मोहल्ला- बरगदवा (नई बस्ती)
निकट गीता पब्लिक स्कूल
पोस्ट- मड़वा नगर (पुरानी बस्ती)
जिला- बस्ती (उप्र)

आग-दुर्घटना से कैसे निपटें ?

रमेश शीरा

तमिलनाडू के तंजावुर जिले के कुंभकोणम स्थित एक विद्यालय में 16 जुलाई, 2004 में भीषण स्कूल अग्नि दुर्घटना ने 94 बच्चों की जान ले ली। इससे पूर्व वर्ष 1998 में हरियाणा में डबवाली अग्निकांड हुआ, जिसने 540 लोगों की जान ले ली, जिनमें 170 बच्चे भी शामिल थे। ऐसी भयावह अग्नि दुर्घटनाएँ रूह को कँपा देती हैं। प्रश्न यह है कि क्या आज हमारे विद्यालय आग से सुरक्षित हैं? कोई ऐसी दुर्घटना बता कर नहीं आती, लेकिन अगर आ जाये तो क्या हम उस आपदा से निपटने के लिए तैयार हैं? ऐसी किसी आपदा को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता होती है। स्कूलों में बड़ी संख्या में लकड़ी का फर्नीचर होता है, जो जल्दी ही आग पकड़ सकता है। प्रयोगशालाओं में ज्वलनशील रसायन, मिड-डे मील रसोई में घी-तेल, एलपीजी सिलेंडर, बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट, या अन्य इलैक्ट्रिक उपकरण आदि किसी भी समय आग पकड़ सकते हैं। अतः अग्नि हादसे से बचने के लिए बेहद सावधानी की जरूरत होती है।

अग्निशामक यंत्र-

स्कूल भवन में प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त क्षमता और संख्या में आईएसआई मार्क के अग्निशामक यंत्र होने चाहिए। सरकारी स्कूलों में, अग्निशामक यंत्र स्कूल में उपलब्ध धनराशि से ही खरीदे जाते हैं, जैसे बाल कल्याण निधि, स्वास्थ्य निधि, भवन निधि आदि। अगर किसी कारण से विद्यालय में अग्निशामक यंत्र स्थापित नहीं हुए हैं, तब तक पर्याप्त संख्या में रेत और पानी से भरी धातु की बाल्टियाँ रखी जानी चाहिए। इन्हें स्कूल भवन के मुख्य स्थानों पर रखना चाहिए, जहाँ ये सभी को आसानी से दिखाई दें। स्टाफ को यह जानकारी होनी चाहिए कि आपातकालीन स्थिति में अग्निशामक यंत्रों का कैसे उपयोग किया जाये। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनमें भरे रसायन एक्सपायर न हों। इसी प्रकार स्कूल बस में भी अग्निशामक यंत्र लगे होने चाहिए। बस ड्राइवर व बस के अन्य स्टाफ को भी जानकारी होनी चाहिए कि आपातकालीन स्थिति में इनका उपयोग कैसे करना है।

अग्नि सुरक्षा अभ्यास-

स्कूली बच्चों के लिए अग्नि सुरक्षा अभ्यास उन्हें यह शिक्षित करने में मदद करते हैं कि आग लगने की स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। ये अभ्यास महीने में एक बार आयोजित किया जाना चाहिए। ऐसे अभ्यासों से, बच्चे सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में अधिक जागरूक रहते हैं और आपातकालीन स्थिति में उनकी व्यवस्थित ढंग से निकासी हो जाती है। यदि विद्यालय में फायर अलार्म लगे हों तो विद्यार्थियों व कर्मचारियों को फायर अलार्म की आवाज़ पहचानने में सक्षम होना चाहिए और यह भी जानना चाहिए कि जब यह बजता है तो उन्हें क्या करना है।

स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा प्रणाली के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें आग अलार्म और बुझाने वाले यंत्रों के स्थान के बारे में पता होना चाहिए। सुरक्षा अभ्यास पहले से बता कर भी किया जा सकता है, और बिना बताये भी। सुरक्षा अभ्यास में स्कूल वैन भी शामिल होनी चाहिए जिनमें बच्चे स्कूल जाते हैं।

निकास पथ साफ करें-

स्कूल में आग की स्थिति में से बाहर निकलने के रास्ते हमेशा अव्यवस्था मुक्त होने चाहिए। रास्ता अवरुद्ध नहीं होना चाहिए और स्कूल के हर कमरे से बाहर निकलने के लिए दो रास्ते होने चाहिए। व्यवस्थित निकासी के लिए सभी निकास रास्ते स्पष्ट और पर्याप्त चौड़े होने चाहिए।

सुरक्षित मिलन स्थल-

भवन के बाहर सभी छात्रों को ऐसे सुरक्षित स्थल की सूचना दी जानी चाहिये आपातकालीन स्थिति में उन्हों एकत्रित होना हो। मॉक ड्रिल या आपातकालीन निकासी के मामले में, छात्रों को इस स्थल पर तब तक इकट्ठा रहना चाहिए जब तक कि उन्हें आगामी निर्देश न दिये जायें। स्कूल सुरक्षा को अक्सर अभिभावकों के द्वारा भी नज़र-अंदाज कर दिया जाता है। माता-पिता को भी नये विद्यालय में बच्चे को प्रवेश दिलाने से पूर्व इमारत की अग्नि सुरक्षा की जांच करनी चाहिए। घर में भी बच्चों को अग्नि सुरक्षा के बारे में जानकारी देनी चाहिए ताकि वे किसी भी समय और कहीं भी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहें।

क्या कहते हैं विभाग के निर्देश-

विभाग द्वारा 'रेगुलेशन्स ऑन स्कूल सेफ्टी' के अन्तर्गत 2017 में अग्नि सुरक्षा के लिए भी निर्देश जारी किए थे, विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए जिनका पालन करना अत्यावश्यक हैं। इनमें स्पष्ट कहा गया है कि-

क) विद्यालयों में पर्याप्त क्षमता और संख्या में आईएसआई मार्क के अग्निशामक यंत्र होने चाहिए।

ख) किसी भी स्थिति से निपटने के लिए स्कूलों में प्राथमिक चिकित्सा किट रखी जानी चाहिए।

ग) आपातकालीन टेलीफोन नंबर और किसी भी घटना के मामले में संपर्क किए जाने वाले व्यक्तियों की सूची नोटिस बोर्ड और स्कूल परिसर में अन्य प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।

घ) मॉक ड्रिल नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए। जहाँ भी संभव हो उन स्कूलों में फायर अलार्म होना चाहिए जिनके पास बड़ा बुनियादी ढाँचा और विज्ञान प्रयोगशालाएँ हैं।

ड) सभी विद्युत तारों और उपकरणों का निरीक्षण किया जाना चाहिए। उनमें यदि खराबी पाई जाती है तो उन्हें आईएसआई मार्क वाले उपकरणों से बदल देना चाहिए।

च) किसी स्कूल के परिसर के अंदर या ऊपर से कोई हाई टेंशन लाइन नहीं गुज़रनी चाहिए। ऐसी लाइनें, यदि मौजूद हैं, तो मामले को जिला विद्यालय सुरक्षा समिति के संज्ञान में लाकर तुरंत स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

अंग्रेज़ी प्रवक्ता
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय
खुड्डा लाहौरा, यूटी, चंडीगढ़

स्कूल अग्नि सुरक्षा व बचाव अभ्यास

nidm
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (गृह मंत्रालय, भारत सरकार)
आई.आई.पी.ए. कैम्पस, 5वी, आई.पी.स्टेट, महात्मा गाँधी मार्ग,
नई दिल्ली–110002
वेबसाइट : www.nidm.gov.in

आदर्श चरण

अग्नि सुरक्षा जानकारी

- अपने संस्थान के लिए "आपातकालीन योजना" बनाएँ और सुनिश्चित करें कि प्रत्येक को इसकी जानकारी हो।
- अपने विद्यालय को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा भवन नियमों व महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन करें।
- आपातकालीन परिस्थितियों में फायर अलार्म का उपयोग करें (मैनुअल अलार्मिंग सिस्टम का अभ्यास करें) और आग लगने पर सभी को चौकन्ना/सावधान करें।
- सामान्य दिनों में अपनी आँखें बंद करके बचाव के रास्तों से बाहर निकलने का अभ्यास करें।
- आपातकालीन के रास्तों को हमेशा साफ रखें और इनमें किसी प्रकार की रुकावट या अवरोध न डालें।
- भंडारण तथा कार्य क्षेत्रों को कूड़े-कचरे से दूर रखें।
- भोजन बनाने वाले कर्मियों (स्टाफ) को रसोईघर में काम करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।
- "प्राथमिक उपचार किट" हमेशा तैयार रखें और आपात् स्थितियों के लिए तैयार रहें। प्राथमिक उपचार किट को ऐसे स्थान पर रखें, जहां आसानी से पहुँचा जा सके।
- मिट्टी के तेल, गैस सिलिंडर आदि जैसी ज्वलनशील वस्तुओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखें।
- आग लगने पर तुरंत विद्युत उपकरणों का संपर्क मुख्य धाराओं से काट दें।
- बिजली की पुरानी वायरिंग, व अन्य इलेक्ट्रिक फिटिंग्स की सतत मरम्मत व देखभाल करें/संभावित खतरे की जानकारी अपने इलेक्ट्रिशियन को दें।
- अग्निशमन उपकरणों को चालू हालत में रखें और इनका प्रयोग सीखें।
- बच्चों को 'अग्नि सुरक्षा नियमों' की जानकारी दें।
- आपातकालीन परिस्थितियों में घबराये नहीं। शांति और धीरज से काम लें। अपने कक्षा-कक्ष (कक्षाओं) से शीघ्र बाहर आ जाएँ।

आग लगने पर :

- अपनी और अपने मित्रों की रक्षा करें। शांत रहें, घबराएँ नहीं।
- अलार्म बजाएँ और सभी को चौकन्ना करें।
- नजदीकी निकास मार्गों अथवा आपातकालीन मार्गों का उपयोग करें।
- निकलने से पहले सभी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर दें।
- लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का उपयोग करें।
- खड़े न हों, जमीन पर रेंगते हुए बाहर निकलें/ बाहर निकलते समय चेहरा ढका हो।
- तेज आवाज में चिल्लाकर बचाव-दल का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें।

यदि किसी को आग लग जाए तो :

- दौड़ें नहीं, हमेशा रुकें, जमीन पर लेटकर रोल करें। जमीन पर रोल होने से कपड़ों पर लगी आग बुझ जाती है।

आग लगने पर या आपात्‌स्थिति में तत्काल अग्निशमन सेवा को 101 पर डायल करें, यह नंबर टोल फ्री है। इस दौरान निम्नलिखित बातें याद रखें :

- अग्निशमन सेवा को आग लगने की सूचना देते समय शांत रहें।
- कॉल करने वाले का सही नाम और पता बताएँ।
- अपना संपर्क नंबर दें।
- आपात्‌स्थिति की प्रकृति बताएँ- बताएँ कि आग किस प्रकार की है।
- नजदीक का कोई पहचान स्थान बताएँ।
- घटना स्थल पर आसानी से पहुँचने का छोटा रास्ता बताएँ। इससे अग्निशमन सेवा दल को पहुँचने में आसानी होगी और वे कुशलता पूर्वक अपना काम कर सकेंगे।

- सभी आपात्‌कालीन राहत कर्मियों के नम्बर प्रदर्शित करें और सभी तलों पर निकास मार्ग मानचित्र टांगें।
- हमेशा खुद की, अपने मित्रों तथा अपने स्कूल की रक्षा करें।

सड़क-सुरक्षा का पाठ पढ़ाना भी आवश्यक

दीपा रानी

सड़क सुरक्षा की बुनियादी समझ बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। बच्चों की आयु के मुताबिक ये निर्देश कुछ कम-ज्यादा हो सकते हैं। छोटे बच्चों को समझाना चाहिए-

1) कभी भी किसी वयस्क के बिना सड़क पर न चलें।
2) किसी वयस्क के साथ चलते समय भी ट्रैफिक के बीच में न चलें।
3) जहाँ भी संभव हो, फुटपाथ का उपयोग करें।
4) कभी भी सड़क को दौड़ कर पार न करें। जब आप धीरे-धीरे चलते हैं तो आने वाले वाहनों को आपके रास्ते का अनुमान लगाना आसान हो जाता है।
5) सड़क पार करते समय पहले दाएँ देखें, फिर बाएँ, फिर दाएँ देखें (कई वयस्क स्वयं दूसरे दो चरणों का पालन नहीं करते हैं और इसलिए जब बच्चे को इसके बारे में जागरूक किया जाएगा तो वे बड़ों को भी इसके बारें में जागरूक कर सकेंगे।)
6) हमेशा सीट-बेल्ट का उपयोग करें। कभी भी कार की अगली सीट पर न खड़े हों।

बड़े बच्चों को उपरोक्त के अलावा यह समझाना चाहिए कि-

7) सड़क पर चलते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी आने वाले यातायात के रास्ते में तो नहीं हैं।
8) सड़क पर चलते या साइकिल चलाते समय कभी भी हेडफोन या मोबाइल का उपयोग न करें। यातायात और अपनी सुरक्षा पर पूरा ध्यान दें।
9) कभी भी रिवर्स हो रहे वाहन या बस के पीछे न चलें। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि वह चलना बंद न कर दे या ऐसे वाहन के पीछे की बजाय उसके सामने से गुजरें।
10) जो बच्चे साइकिल से या पैदल स्कूल आते हैं, उन्हें बुनियादी सड़क सावधानियों के बारे में भी बताया जाना चाहिए जिसमें, जैबरा क्रॉसिंग, पदयात्रियों की हरी बत्ती, साइकिल पथ का इस्तेमाल (यदि हो), हाथ का संकेत आदि शामिल हैं।
11) सभी बच्चों को बुनियादी यातायात नियम सिखाए जाने चाहिए, ताकि वे गाड़ी चलाने वाले वयस्कों को भी जागरूक कर सकें। जब वे स्वयं बड़े होकर गाड़ी चलाना शुरू करेंगे तब तक वे इस अनुशासन को भी आत्मसात् कर लेंगे। उन्हें विशेष रूप से सिखाना चाहिए कि कभी भी लाल बत्ती पार न करें और सिग्नल का सम्मान करें, ट्रैफिक संकेतों से परिचित हों, सीट-बेल्ट/हेलमेट का उपयोग करें। उन्हें बताना चाहिए कि नशे की हालत में गाड़ी चलाने से या फोन का उपयोग करते समय ड्राइविंग करने पर बहुत लोग दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं।
12) स्कूल को बड़े छात्रों को कम उम्र में गाड़ी चलाने और बिना लाइसेंस के मोटरसाइकिल, कार आदि चलाने के खतरों के बारे में बताना चाहिए। उन्हें जागरूक किया जाना चाहिए कि यह एक अपराध है।

अक्सर कस्बों/ शहरों में यह देखा जाता है कि बच्चे कोचिंग सेंटर या किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए स्कूटर-मोटरसाइकिल आदि का उपयोग करते हैं। उन्हें बताया जाना चाहिए कि जब तक उनकी लाइसेंस बनवाने की उपयुक्त आयु नहीं हो जाती, तब तक वे ड्राइविंग न करें।

13) सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी युवा को हेलमेट/सीटबेल्ट, गति सीमा, यातायात संकेतों का कड़ाई से पालन करने की सीख देनी चाहिए।

फाइन आर्ट प्राध्यापिका, रावमा विद्यालय
सैक्टर-19, पंचकूला

हमारी सोच से कहीं अधिक क्षमता होती है हममें

एक बार एक किसान अपने फ़ार्म हाउस पर काम कर रहा था। तभी उसका बेटा एक गाड़ी में कुछ सामान लेकर आया। जैसे ही वह फ़ार्म हाउस पहुँचा, एक गड्ढे के पास उसकी गाड़ी पलट गई और वह कीचड़ में गाड़ी के नीचे दब गया। जैसे ही किसान ने यह दृश्य देखा वो फ़ौरन वहाँ पहुँचा और पूरा ज़ोर लगाकर गाड़ी को उलट दिया और अपने बेटे को सकुशल बाहर निकाल लाया। यह एक असंभव कार्य था। यह देखकर वहाँ काम करने वाले लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने किसान से पूछा कि तुमने यह असंभव कार्य कैसे कर डाला? किसान ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि ये असंभव कार्य है। मैं तो बस अपने बेटे को बचाना चाहता था इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे-समझे गाड़ी को उलटने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी।

क्या यह संभव है? वास्तव में हम जो सोचते हैं उससे कहीं अधिक बड़ा कार्य कर सकते हैं क्योंकि हममें हमारी सोच से कहीं अधिक कार्य करने की क्षमता होती है। फिर हम हर कार्य क्यों नहीं कर पाते? इसका कारण है संभव-असंभव का द्वंद्व। हम कार्य करने से पूर्व इस बात पर अवश्य विचार करते हैं कि ये कार्य हम कर पाएँगे अथवा नहीं। अन्य व्यक्ति भी कम सुझाव नहीं देते। हर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर बोलता है। साथ ही लोग उस कार्य के दौरान आने वाली संभावित कठिनाइयों के विषय में बताने लगते हैं। इससे कार्य प्रारंभ करने वाले का मनोबल क्षीण हो जाता है और वह उस कार्य को करने का प्रयास ही नहीं करता और प्रयास करता भी है तो उस कार्य की सफलता के प्रति आश्वस्त न होने के कारण अपनी पूरी क्षमता का उपयोग ही नहीं कर पाता।

कई बार जब हम कोई कार्य नहीं कर पाते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति के थोड़े-से सहयोग से ही उसे भलीभाँति पूर्ण कर लेते हैं। प्रायः देखने में आता है कि कई मज़दूर जब कोई भारी वस्तु उठाने अथवा सरकाने का प्रयास करते हैं तो वह वस्तु टस से मस नहीं होती लेकिन तभी उनका लीडर आता है और कुछ वाक्यों अथवा नारों से उन्हें जोश दिलाता है। तभी चमत्कार-सा घटित होता है और जो वस्तु टस से मस नहीं हो रही थी, मज़दूर आसानी से उसे उठा लेते हैं या सरकाने लगते हैं। इससे पता चलता है कि हम अपनी क्षमता के विषय में जितना सोचते हैं, हमारी क्षमता उससे अधिक ही होती है और निरंतर अभ्यास द्वारा इसे और अधिक बढ़ाया जा सकता है। मुझे हर हाल में ये कार्य करना ही है, जब इस प्रकार का विचार मन में होता है अथवा जब कोई हमसे कहता है कि अमुक कार्य करना ही है तो हम फ़ौरन कार्य करने में जुट जाते हैं और प्रायः सफल ही होते हैं।

वास्तव में हमारे मन में एक सूची होती है जिसके अनुसार हम कुछ काम कर सकते हैं और कुछ काम बिलकुल नहीं कर सकते। ये सूची कुछ स्वयं के अनुभव पर आधारित होती है। कई बार अत्यंत सरल-से कार्यों के बारे में भी हम सोचते हैं कि ये कार्य हम नहीं कर सकते। इस सूची को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। इस सूची के बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम थोड़ा-सा अधिक प्रयास करके आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये अतिरिक्त प्रयास कैसे करें? इसका सबसे सरल तरीका यही है कि हम इस विश्वास के साथ कार्य करें कि हम इसे कर सकते हैं और स्वयं को एकाग्र करके पूरी शक्ति कार्य को संपन्न करने में लगा दें। विषम परिस्थितियों में तो यह और भी अनिवार्य है, क्योंकि उस समय हमारे पास अन्य विकल्प होते ही नहीं। जब विकल्पहीनता की स्थिति में असंभव-से लगने वाले कार्य करना संभव है तो सामान्य स्थिति में क्यों नहीं?

सीताराम गुप्ता,
ए.डी. 106 सी., पीतमपुरा,
दिल्ली - 110034

2024

मई-जून माह
के त्यौहार व विशेष दिवस

1 मई - अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस
3 मई - विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस
7 मई- रवींद्रनाथ टैगोर जयंती
8 मई- विश्व रेडक्रॉस दिवस
10 मई- परशुराम जयंती/अक्षय तृतीया
11 मई- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस
12 मई- मातृ दिवस
18 मई- अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस
21 मई- राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस
22 मई- अंतरराष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस
23 मई- बुद्ध पूर्णिमा
24 मई- महर्षि कश्यप जयंती
31 मई- विश्व तंबाकू निषेध दिवस
9 जून- महाराणा प्रताप जयंती
10 जून- गुरु अर्जन देव शहीदी दिवस
17 जून- ईद-उल ज़ुहा, बकरीद
22 जून- संत कबीर जयंती

'शिक्षा सारथी' का यह अंक कैसा लगा? अपनी राय, विचार या सुझाव हमें अवश्य लिखें। लेखकों व शिक्षाविदों से अनुरोध है कि शिक्षा जगत् से जुड़े विषयों, योजनाओं, मुद्दों से संबंधित रचनाएँ व लेख हमें भेजें। अपने-अपने क्षेत्रों में होने वाली शिक्षा जगत की गतिविधियों की रिपोर्ट भी हमें भेजें। हमारा पता- शिक्षा सारथी, तृतीय तल, शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला।
मेल भेजने का पता-
shikshasaarthi@gmail.com

Conquer the world by your wisdom...

Dr. Himanshu Garg

Our life is full of opportunities. It depends on our intelligence how we treat a chance. Our intelligence can turn a chance into opportunity. Intelligent people focus only on their aim. They do not spend time in thinking what others think about them.

Once a man had a jewelry shop in a famous market and he had a good status in society. He was known for his accurate analysis of the power of stones. But on their way in the market, a group of people laughed at him for his son's mental disability. The man reached home and called his son to test his mental ability. He gave him some puzzles but the son solved all in few seconds. Then he put gold and silver rings on the table and asked him to select the most precious one. He chooses the gold one. After satisfying himself, the man asked him about any experience related to that group of people. Then he said that the head of that group in market showed him two coins- one silver and one golden every day. He asked him to pick the most precious one from these. He selected the silver coin. They laughed at him and gifted that coin to him. The rich man scolded his son for his false judgement. But then the boy took his father to his room and opened a large box full of silver coins. The man was surprised to see such a huge collection of silver coins. All these silver coins were gifted by that group. He told his father that they laughed at him and gifted him the silver coin selected by him every day. If he had chosen the gold coin, then they would have gifted him only once but this game continued only because of his false judgement.

Every person has a different nature. We cannot satisfy everyone at one time. So don't waste your time in reading others minds. Keep the people happy around you and grab opportunities.

Asstt. Professor,
Govt. College For Women, Jind
Himanshujind@yahoo.com

Engaging Summer Vacation Activities for Children

Summer vacations in India are a time for children to unwind, explore new interests, and make lasting memories. With the scorching heat and long school holidays, it's essential to keep children engaged in constructive and enjoyable activities. From exploring the outdoors to delving into arts and crafts, here are various activities that Indian school children can indulge in during their summer break.

Outdoor Adventures

Nature Walks: Encourage children to explore the natural beauty around them by organizing nature walks in parks, gardens, or nearby forests. It's an excellent opportunity for them to learn about local flora and fauna while getting some fresh air and exercise.

Picnics: Plan a day out with family or friends for a picnic in scenic spots like hill stations, riversides, or beaches. Children can enjoy playing outdoor games, swimming, and relishing homemade snacks amidst nature's serenity.

Adventure Camps: Enroll children in adventure camps where they can try activities like trekking, rock climbing, river rafting, and zip-lining under expert supervision. These experiences foster teamwork, build confidence, and instill a love for adventure in children.

Sports: Summer vacations are perfect for honing sports skills. Organize

cricket matches, football tournaments, or badminton competitions in local playgrounds to keep children active and engaged in healthy competition.

Creative Pursuits

Arts and Crafts: Set up an arts and crafts corner at home with supplies like paints, paper, clay, and beads. Children can unleash their creativity by making paintings, sculptures, jewelry, and other DIY crafts.

Cooking Classes: Teach children basic cooking skills by involving them in simple recipes like sandwiches, salads, and desserts. It's a fun way to introduce them to the joys of cooking and encourage healthy eating habits.

Music and Dance: Enroll children in music or dance classes to learn instruments, singing, or various dance forms like classical, folk, or contemporary. They can showcase their talents at family gatherings or cultural events.

Creative Writing: Encourage children to express themselves through writing by starting a journal, writing stories, or creating their own comic strips. It helps improve language skills and stimulates imagination.

Educational Activities

Science Experiments: Conduct simple science experiments at home using household items to make learning fun and interactive. Children can explore concepts like density, chemical reactions, and physics principles through hands-on activities.

Book Clubs: Start a summer book club where children can read and discuss books of their choice. It promotes reading habits, improves comprehension, and allows them to share their thoughts with peers.

Language Learning: Introduce children to a new language, whether it's a regional Indian language, a foreign language, or sign language. Online courses, language apps, and interactive games make learning enjoyable and accessible.

Visits to Museums and Historical Sites: Take children on educational trips to museums, historical monuments, and archaeological sites to learn about India's rich cultural heritage. It's a great way to make history come alive and spark curiosity.

Social and Community Engagement

Volunteering: Involve children in community service activities like cleaning drives, tree planting, or volunteering at local NGOs. It teaches

them the value of giving back to society and instills a sense of empathy and responsibility.

Cultural Workshops: Attend cultural workshops or summer camps where children can learn traditional arts, crafts, dances, and cuisines from different regions of India. It helps them appreciate the diversity of their country and learn about other cultures.

Social Skills Development: Organize playdates, group outings, or summer camps where children can interact with peers, make new friends, and develop social skills like communication, teamwork, and conflict resolution.

Environmental Awareness: Teach children about environmental conservation and sustainability through activities like planting saplings, creating eco-friendly crafts, or learning about renewable energy sources. It instills a sense of responsibility towards the environment from a young age.

Tech and Gaming

STEM Workshops: Enroll children in STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)

workshops where they can learn coding, robotics, 3D printing, and other tech skills. It prepares them for future careers and fosters innovation.

Educational Apps and Games: Introduce children to educational apps and games that make learning fun, such as puzzles, quizzes, and interactive simulations covering various subjects from mathematics to history.

Gaming Tournaments: Organize gaming tournaments for children to showcase their skills in popular video games like Minecraft, Fortnite, or FIFA. It promotes strategic thinking, problem-solving, and healthy competition.

Conclusion

Summer vacations are a precious time for Indian school children to explore, learn, and grow outside the confines of the classroom. By engaging in a diverse range of activities, they can discover new passions, develop skills, and make lifelong memories. Whether it's exploring nature, unleashing creativity, expanding knowledge, or giving back to the community, there's something for every child to enjoy and benefit from during their summer break.

May Day

May Day, also known as International Workers' Day, is celebrated around the world on May 1st. It is a day dedicated to honoring the labor movement and the contributions of workers to society. The history of May Day is rich and complex, marked by struggles, protests, and victories for workers' rights.

The origins of May Day can be traced back to the late 19th century, a time of great industrial expansion and social upheaval. The Industrial Revolution brought about significant changes to the way people worked, with many laborers facing long hours, low wages, and unsafe working conditions. In response to these injustices, workers began organizing and demanding better treatment from their employers.

One of the key events leading to the establishment of May Day was the Haymarket affair, which occurred in Chicago in 1886. On May 1st of that year, thousands of workers went on strike to demand an eight-hour workday. The strike culminated in a peaceful rally at Haymarket Square, where a bomb was detonated, leading to violence and the deaths of several police officers and workers. The incident sparked outrage and became a symbol of the struggle for workers' rights.

In 1889, the International Socialist Conference in Paris declared May

1st as International Workers' Day to commemorate the Haymarket affair and to demand the establishment of the eight-hour workday worldwide. Since then, May Day has been observed as a day of solidarity among workers and a time to advocate for labor rights.

Throughout history, May Day has been marked by various forms of protest and celebration. In many countries, workers organize marches, rallies, and demonstrations to demand better wages, improved working conditions, and greater rights for all workers. These events often feature speeches, music, and displays of solidarity among different labor organizations.

In addition to its significance as a day of protest, May Day is also a time for cultural festivities and traditions. In some countries, people gather for picnics, parades, and other outdoor activities to celebrate the arrival of spring and to honor the achievements of the labor movement. Maypoles, adorned with ribbons and flowers, are a common sight in many European countries, where people dance around them in traditional folk rituals.

May Day holds special importance for various groups within the labor movement. For trade unions and workers' organizations, it is a day to reaffirm their commitment to collective bargaining and to highlight the ongoing struggles for workers' rights. For immigrant communities, May Day often serves as a platform to advocate for immigrant rights and to celebrate the contributions of immigrant workers to their adopted countries.

In recent years, May Day has taken on renewed significance as workers continue to face challenges such as economic inequality, precarious employment, and the erosion of labor rights. In many parts of the world, there has been a resurgence of grassroots activism and organizing, with workers coming together to demand fair wages, better working conditions, and greater protections for all workers, regardless of their background or status.

The COVID-19 pandemic has further highlighted the importance of May Day and the need for strong labor protections. As the pandemic has exposed and exacerbated existing inequalities, many workers have found themselves on the front lines, risking their health and safety to keep essential services running. May Day 2020 and 2021 saw numerous protests and demonstrations by frontline workers demanding better pay, protective equipment, and support from their employers and governments.

Looking ahead, May Day will continue to be a vital moment for workers to come together, raise their voices, and demand change. As the world faces ongoing challenges such as automation, globalization, and the gig economy, the need for a strong and united labor movement has never been greater. May Day serves as a reminder of the power of collective action and the importance of standing up for the rights and dignity of all workers.

In conclusion, May Day is a day of reflection, celebration, and action. It honors the struggles and achievements of workers throughout history and serves as a rallying cry for a more just and equitable world. As we mark this day each year, let us remember the sacrifices of those who came before us and recommit ourselves to the ongoing fight for workers' rights and social justice.

Rabindranath Tagore

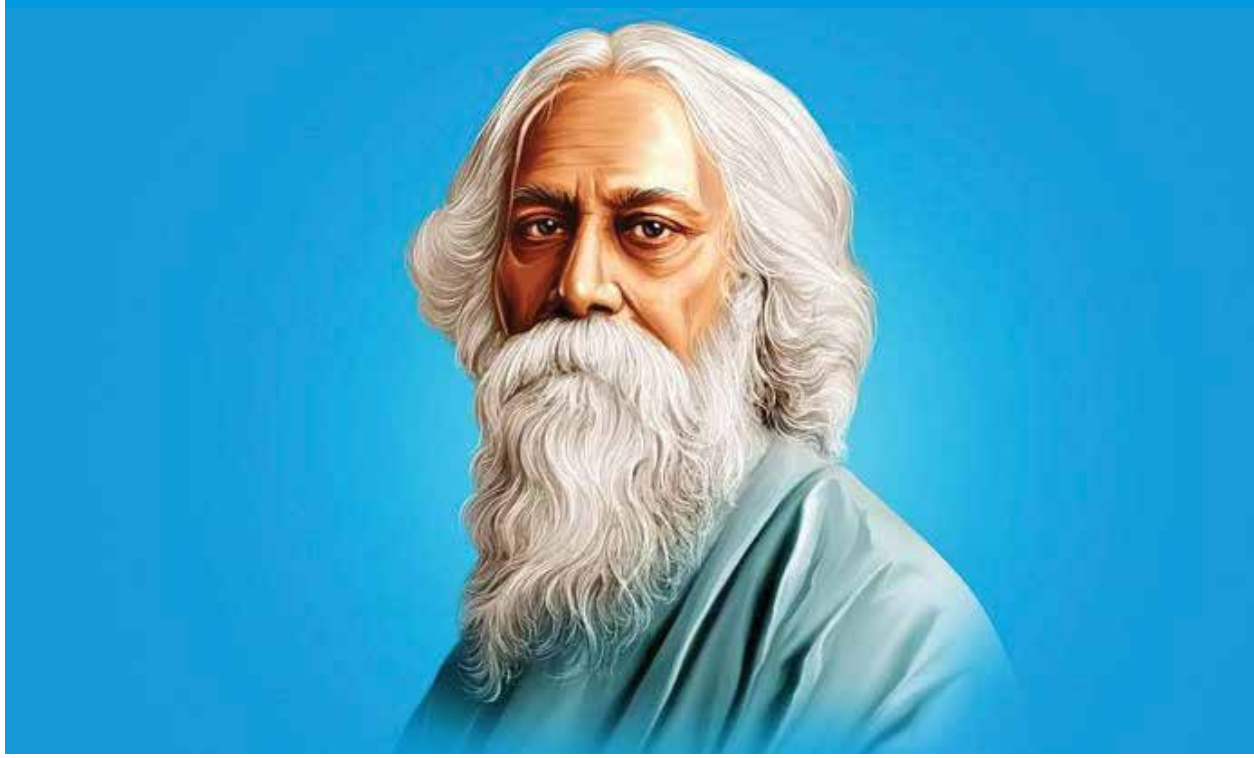

Rabindranath Tagore, often referred to as Gurudev, was a towering figure in Indian literature, art, and culture. His contributions as a poet, writer, philosopher, musician, and educator have left an indelible mark on the world. In this essay, we will delve into the life, works, and legacy of Rabindranath Tagore, exploring his influence on literature, his philosophical insights, and his enduring impact on society.

Rabindranath Tagore was born on May 7, 1861, in Calcutta, Bengal Presidency, British India (now Kolkata, India). He was born into a prominent Bengali family, with his father, Debendranath Tagore, being a respected philosopher and religious

leader. From a young age, Tagore was exposed to literature, music, and the arts, which laid the foundation for his lifelong creative pursuits.

Tagore's literary journey began at an early age, and he published his first collection of poems, "Kabi Kahini" (The Poet's Story), at the age of sixteen. His early works were deeply influenced by the Romantic poets, but he soon developed his own unique style, blending elements of Indian spirituality, nature, and humanism. Tagore's poetry captured the beauty of the natural world, the complexities of human emotions, and the longing for spiritual fulfillment.

One of Tagore's most famous works is "Gitanjali" (Song Offerings), a collection of poetry that earned him the Nobel Prize in Literature in 1913, making him the first non-European to receive the prestigious award. "Gitanjali" is a profound exploration of devotion, love, and the divine, expressed through lyrical and meditative verses. The poems in "Gitanjali" reflect Tagore's deep spiritual insight and his belief in the interconnectedness of all life.

In addition to poetry, Tagore was a prolific writer of fiction, essays, and plays. His novels, such as "Gora," "Chokher Bali," and "Ghare-Baire" (The Home and the World), explore themes of love, identity, and social reform in the context of Indian society. Tagore's essays reflect his wide-ranging interests in education, politics, and the arts, offering profound reflections on the human condition and the challenges facing humanity.

Tagore was also a talented musician and composer, known for his vast repertoire of songs, known as Rabindra Sangeet. These songs, which he composed in Bengali, are deeply rooted in Indian classical music and are characterized by their melodic beauty and emotional depth. Tagore's music continues to be celebrated and performed to this day, both in India and around the world.

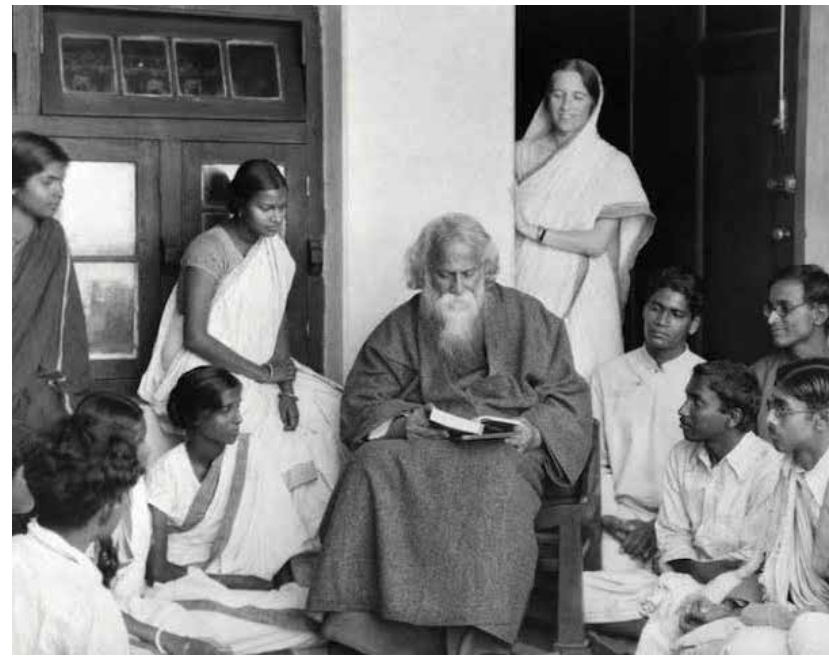

Beyond his literary and artistic achievements, Tagore was also a visionary thinker and social reformer. He was deeply concerned with the plight of the poor and marginalized, and he used his influence to advocate for social justice and equality. Tagore's educational philosophy emphasized the importance of holistic learning, creativity, and freedom of expression, and he founded the Visva-Bharati University in Santiniketan as an experimental center for education and the arts.

Tagore's philosophy of "Vishwa

Manav" (the universal human) emphasized the unity of humanity across cultures and religions. He believed in the power of dialogue, empathy, and mutual respect to bridge divides and promote peace. Tagore's ideas on nationalism, which he articulated in his essay "Nationalism" (1917), challenged narrow, exclusive notions of identity and called for a more inclusive and humane vision of society.

Tagore's influence extended far beyond the literary and cultural sphere. He was a key figure in the Bengal Renaissance, a cultural and intellectual movement that revitalized Bengal's literature, art, and society in the late 19th and early 20th centuries. His ideas on education, aesthetics, and spirituality continue to inspire generations of thinkers, artists, and activists in India and beyond.

In conclusion, Rabindranath Tagore was a multifaceted genius whose creative output and philosophical insights continue to resonate with people around the world. Through his poetry, music, and writing, he captured the beauty of the human spirit and the interconnectedness of all life. Tagore's vision of a more harmonious and inclusive world remains as relevant today as it was during his lifetime, making him a timeless figure in the annals of literature and culture.

The Child-Angel

They clamour and fight, they doubt and despair, they know no end to their wrangling.

Let your life come amongst them like a flame of light, my child, unflickering and pure, and delight them into silence. They are cruel in their greed and their envy, their words are like hidden knives thirsting for blood.

Go and stand amidst their scowling hearts, my child, and let your gentle eyes fall upon them like the forgiving peace of the evening over the strife of the day.

Let them see your face, my child, and thus know the meaning of all things; let them love you and thus love each other.

Come and take your seat in the bosom of the limitless, my child. At sunrise open and raise your heart like a blossoming flower, and at sunset bend your head and in silence complete the worship of the day.

by Rabindranath Tagore

ODE, COMPOSED ON A MAY MORNING

While from the purpling east departs
The star that led the dawn,
Blithe Flora from her couch upstarts,
For May is on the lawn.
A quickening hope, a freshening glee,
Foreran the expected Power,
Whose first-drawn breath, from bush and tree,
Shakes off that pearly shower.

All Nature welcomes Her whose sway
Tempers the year's extremes;
Who scattereth lustres o'er noon-day,
Like morning's dewy gleams;
While mellow warble, sprightly trill,
The tremulous heart excite;
And hums the balmy air to still
The balance of delight.

Time was, blest Power! when youth and maids
At peep of dawn would rise,
And wander forth, in forest glades
Thy birth to solemnize.
Though mute the song---to grace the rite
Untouched the hawthorn bough,
Thy Spirit triumphs o'er the slight;
Man changes, but not Thou!

Thy feathered Lieges bill and wings
In love's disport employ;
Warmed by thy influence, creeping things
Awake to silent joy:
Queen art thou still for each gay plant
Where the slim wild deer roves;
And served in depths where fishes haunt
Their own mysterious groves.

Cloud-piercing peak, and trackless heath,
Instinctive homage pay;
Nor wants the dim-lit cave a wreath
To honor thee, sweet May!
Where cities fanned by thy brisk airs
Behold a smokeless sky,
Their puniest flower-pot-nursling dares
To open a bright eye.

And if, on this thy natal morn,
The pole, from which thy name
Hath not departed, stands forlorn
Of song and dance and game;
Still from the village-green a vow
Aspires to thee addrest,
Wherever peace is on the brow,
Or love within the breast.

Yes! where Love nestles thou canst teach
The soul to love the more;
Hearts also shall thy lessons reach
That never loved before.
Stript is the haughty one of pride,
The bashful freed from fear,
While rising, like the ocean-tide,
In flow the joyous year.

Hush, feeble lyre! weak words refuse
The service to prolong!
To yon exulting thrush the Muse
Entrusts the imperfect song;
His voice shall chant, in accents clear,
Throughout the live-long day,
Till the first silver star appear,
The sovereignty of May.

By William Wordsworth

Summer Diseases

Summer in India brings with it a host of diseases and health concerns due to the hot and humid climate, as well as various environmental factors. From heat-related illnesses to waterborne and vector-borne diseases, the summer months pose significant challenges to public health across the country. In this essay, we will explore some of the most common Indian diseases in summer, their causes, symptoms, prevention, and treatment.

Heatstroke:

One of the most serious health risks during the summer months is heatstroke, which occurs when the body overheats due to prolonged exposure to high temperatures. Symptoms include high body temperature, rapid pulse, headache, dizziness, nausea, and confusion. Heatstroke can be life-threatening if not treated promptly. Prevention involves staying hydrated, avoiding prolonged exposure to the sun, and wearing loose, lightweight clothing. Treatment includes moving the person to a cooler place, providing fluids, and seeking medical attention.

Dehydration:

Dehydration is another common concern in hot weather, especially in regions with high temperatures and humidity. Symptoms include excessive thirst, dry mouth, fatigue, dizziness, and dark-colored urine. Severe dehydration can lead to heat exhaustion or heatstroke. Preventive measures include drinking plenty of fluids, avoiding excessive sun exposure, and wearing appropriate clothing. Treatment involves rehydrating with water or oral rehydration solutions.

Gastrointestinal infections:

With the rise in temperatures, the risk of gastrointestinal infections increases due to contaminated food and water. Bacterial infections such as cholera, typhoid, and food poisoning are common during the summer months. Symptoms include diarrhea, vomiting, abdominal cramps, and

fever. Prevention involves practicing good hygiene, drinking safe water, and eating freshly cooked food. Treatment may include antibiotics, rehydration, and supportive care.

Dengue fever:

Dengue fever is a mosquito-borne viral infection transmitted by the Aedes mosquito, which is more active during the summer season. Symptoms include high fever, severe headache, joint and muscle pain, rash, and bleeding tendencies. Severe cases can lead to dengue hemorrhagic fever or dengue shock syndrome, which can be fatal. Prevention involves eliminating mosquito breeding sites, using mosquito repellents, and wearing protective clothing. Treatment includes supportive care and monitoring for complications.

Malaria:

Malaria is another mosquito-borne disease that is prevalent in many parts of India, particularly during the summer months. Symptoms include fever, chills, sweats, headache, and body aches. Severe cases of malaria can lead to organ failure and death if not treated promptly. Prevention involves using insect repellents, sleeping under insecticide-treated bed nets, and taking antimalarial medications if traveling to high-risk areas. Treatment includes antimalarial drugs prescribed by a healthcare provider.

Sunburn:

Prolonged exposure to the sun's ultraviolet (UV) rays can cause sunburn, a painful skin condition characterized by redness, blistering, and peeling. Severe sunburn can lead to sun poisoning, which includes symptoms such as fever, chills, and nausea. Prevention involves applying sunscreen with a high SPF, wearing protective clothing, and seeking shade during peak sun hours. Treatment includes cooling the affected area, moisturizing the skin, and taking over-the-counter pain relievers if necessary.

Respiratory infections:

Respiratory infections such as colds, flu, and viral fevers are more common during the summer months due to factors like air pollution, dust, and allergens. Symptoms include cough, sore throat, runny nose, fever, and fatigue. Prevention involves practicing good hygiene, avoiding crowded places, and getting vaccinated against the flu if recommended. Treatment includes rest, hydration, and over-the-counter medications to relieve symptoms.

Skin infections:

Skin infections such as fungal infections, heat rash, and prickly heat are prevalent during the summer months due to sweating and humidity. Symptoms include itching, redness, rash, and discomfort. Prevention involves keeping the skin clean and dry, wearing loose-fitting clothing, and avoiding excessive sweating. Treatment may include topical antifungal creams or powders for fungal infections and keeping the affected area cool and dry for heat rash.

In conclusion, the summer months in India bring a range of health challenges, from heat-related illnesses to infectious diseases. Preventive measures such as staying hydrated, practicing good hygiene, and avoiding mosquito bites are essential for staying healthy during this time. Early recognition of symptoms and prompt medical attention can help prevent complications and ensure a safe and enjoyable summer season.

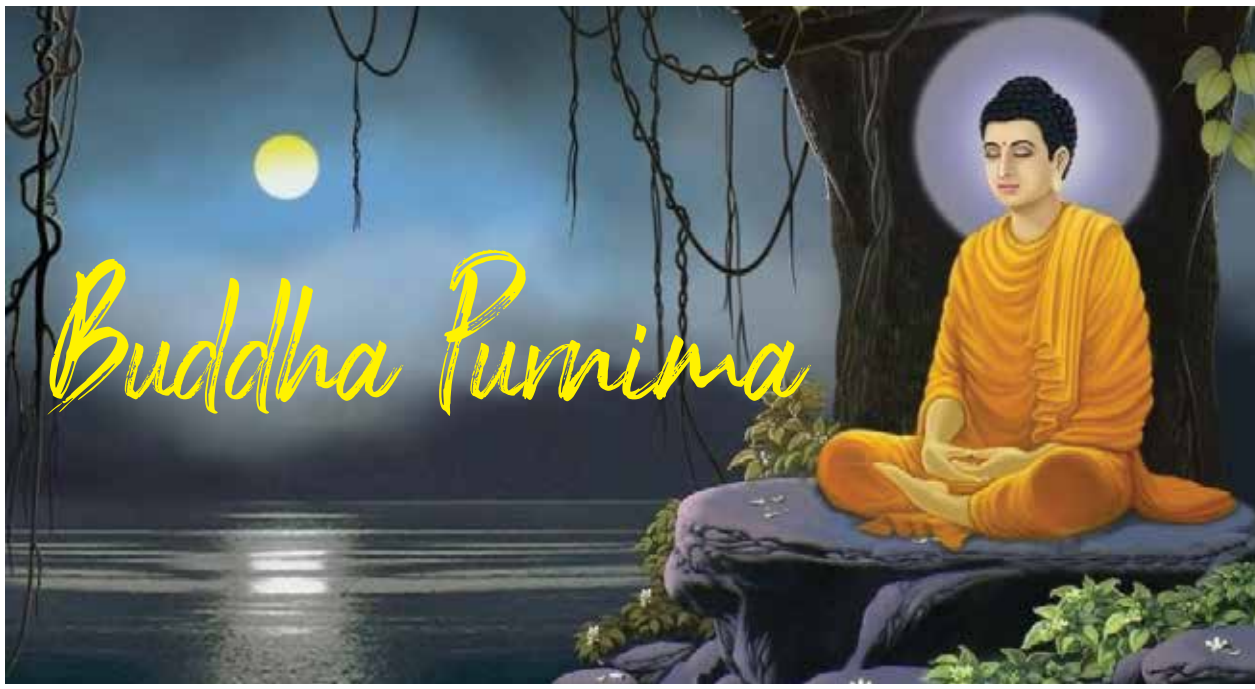

Buddha Purnima, also known as Vesak, is one of the most significant festivals in Buddhism, commemorating the birth, enlightenment, and death (parinirvana) of Gautama Buddha. It falls on the full moon day in the month of Vaisakha, which usually corresponds to April or May in the Gregorian calendar. This auspicious day holds profound importance for Buddhists worldwide, as it celebrates the life and teachings of the Buddha, the enlightened one.

The word "Buddha" means the awakened one or the enlightened one. Siddhartha Gautama, later known as the Buddha, was born around 563 BCE in Lumbini, which is now located in Nepal. According to Buddhist tradition, his birth took place under a sal tree in the garden of Lumbini, and upon his birth, he took seven steps, and at each step, a lotus flower bloomed. His mother, Queen Mahamaya, passed away seven days after his birth, and he was raised by his aunt, Mahaprajapati.

Siddhartha was born into a life of luxury as a prince, but he renounced his princely life in search of truth and enlightenment. At the age of 29, he left his palace and began his quest for enlightenment, seeking an end to suffering. For six years, he practiced extreme asceticism and meditation, but he eventually realized that neither extreme luxury nor extreme asceticism could lead to enlightenment. He then followed the Middle Way, a path of moderation between indulgence and asceticism.

At the age of 35, Siddhartha attained enlightenment while meditating under a Bodhi tree in Bodh Gaya, India. He became the Buddha, the awakened one, and for the next 45 years, he traveled throughout India teaching the Dharma, his profound insights into the nature of existence and the path to liberation from suffering.

Buddha Purnima celebrates three major events in the life of the Buddha:

Birth: The festival commemorates the birth of Siddhartha Gautama in Lumbini. Devotees visit temples and monasteries, offer prayers, and meditate on this day. Many Buddhists also perform acts of charity and kindness, following the Buddha's teachings of compassion and generosity.

Enlightenment: Buddha Purnima also marks the day when Siddhartha attained enlightenment under the Bodhi tree. This event is considered the most significant in Buddhism, as it represents the moment when he discovered the Four Noble Truths and the Eightfold Path, the foundation of Buddhist teachings. Buddhists often engage in meditation and recite sutras to reflect on the Buddha's enlightenment and strive for spiritual awakening themselves.

Parinirvana: The festival also commemorates the death of the Buddha, known as his parinirvana. According to tradition, the Buddha passed away at the age of 80 in Kushinagar, India. His death is seen as the final liberation from the cycle of birth and death (samsara) and the attainment of nirvana, the state of ultimate peace and liberation from suffering.

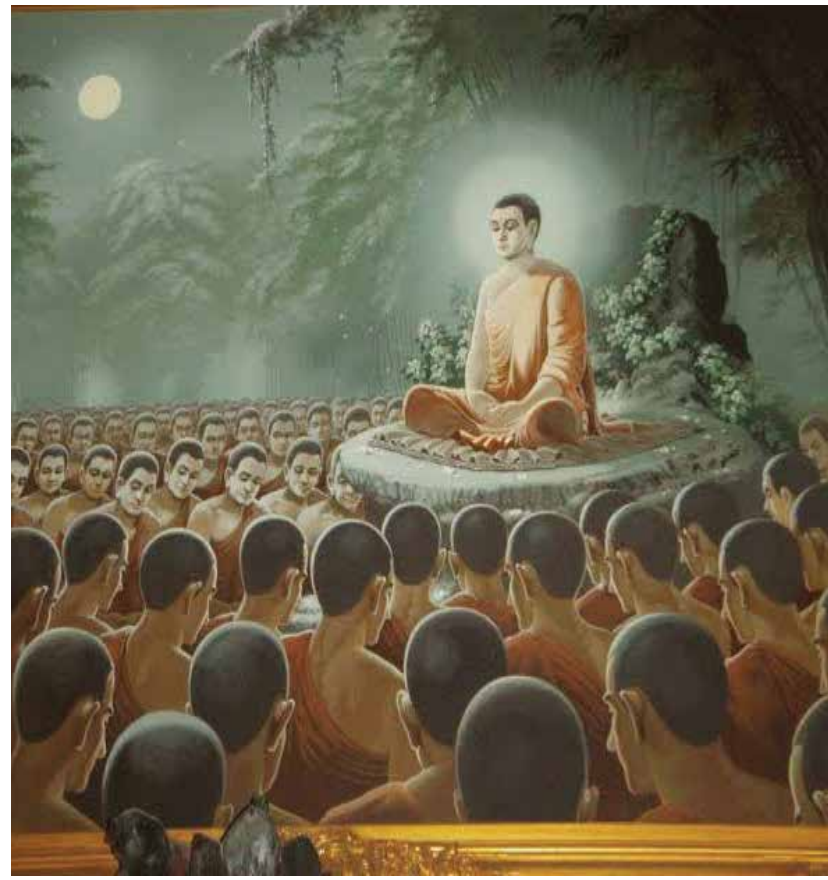

Buddha Purnima is observed with various rituals and ceremonies across different Buddhist traditions and cultures:

Bathing the Buddha: In many Asian countries, devotees pour water over the statues of the Buddha, symbolizing purification and renewal. This act is a reminder to cleanse one's mind of impurities and cultivate virtues.

Offering of Flowers: Flowers play a significant role in Buddha Purnima celebrations. Devotees offer fresh flowers at temples and monasteries as a symbol of impermanence and the transient nature of life.

Circumambulation: Buddhists may also perform circumambulation (walking around a sacred object or place) as a form of homage to the Buddha. This practice is believed to accumulate merit and purify karma.

Dana (Generosity): Giving alms to monks and supporting charitable causes are common practices during Buddha Purnima. Buddhists believe that acts of generosity generate positive karma and contribute to spiritual development.

Meditation and Sutra Recitation: Many Buddhists spend the day in meditation and recite sutras (Buddhist scriptures) to honor the Buddha's teachings and gain insight into the Dharma.

Vesak Lanterns: In some countries like Sri Lanka and Thailand, Vesak lanterns are lit to symbolize the light of the Buddha's teachings illuminating the world and dispelling darkness.

Buddha Purnima is not only a religious festival but also a time for reflection, introspection, and renewal. It serves as a reminder of the Buddha's timeless teachings of compassion, wisdom, and mindfulness, which are as relevant today as they were over two millennia ago.

The festival also promotes interfaith understanding and harmony, as people from different backgrounds come together to celebrate the life and teachings of the Buddha. In countries with significant Buddhist populations, Buddha Purnima is often declared a public holiday, allowing people to participate in festivities and observances.

Moreover, Buddha Purnima serves as an opportunity for Buddhists to reaffirm their commitment to the Eightfold Path and strive for personal and societal transformation. The principles of right understanding, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration form the cornerstone of Buddhist practice and guide followers in leading a virtuous and compassionate life.

In addition to traditional observances, Buddha Purnima has also taken on new forms in the modern world. In recent years, there has been a growing emphasis on environmental sustainability and social justice within the Buddhist community. Many Buddhists use the occasion of Buddha Purnima to advocate for ecological conservation, social equality, and peace initiatives, aligning with the Buddha's teachings on interconnectedness and compassion for all beings.

Overall, Buddha Purnima serves as a reminder of the timeless wisdom and compassion of the Buddha and inspires people around the world to cultivate mindfulness, compassion, and inner peace in their lives. It is a celebration of enlightenment, a time to honor the teachings of the Buddha, and a call to action for creating a more just, compassionate, and harmonious world.

Maya's Magical Garden

Once upon a time, in a small village nestled among the lush green hills of India, there lived a little girl named Maya. Maya loved spending time in her grandmother's garden, especially during the month of May when the flowers bloomed in a riot of colors.

Every morning, Maya would wake up early and rush to her grandmother's garden. The garden was a magical place, filled with fragrant roses, vibrant marigolds, and delicate jasmine flowers. It was Maya's favorite place in the whole world.

One sunny morning in May, Maya woke up to the sound of birds chirping outside her window. She knew it was time to visit her grandmother's garden. She quickly got dressed and ran downstairs to the garden, eager to see what new flowers had bloomed overnight.

As Maya entered the garden, she was greeted by a burst of colors and the

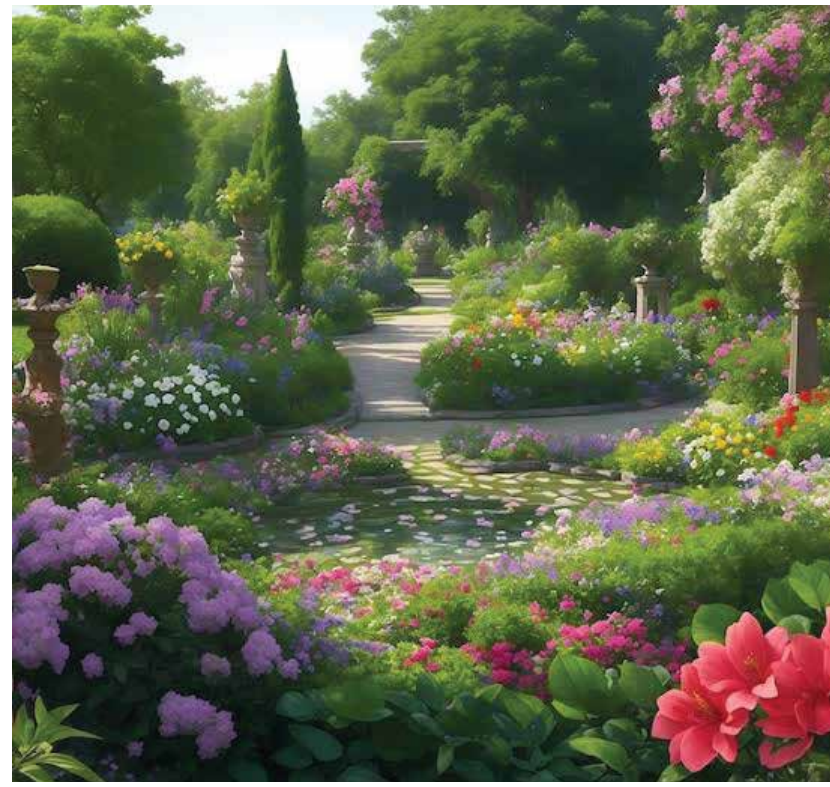

sweet fragrance of flowers. She skipped along the winding path, admiring the beautiful blooms. The roses were in full bloom, their petals soft and velvety to the touch. The marigolds stood tall and proud, their fiery orange hues shining in the morning sunlight. And the jasmine flowers swayed gently in the breeze, releasing their intoxicating scent into the air.

Maya danced among the flowers, feeling like she was in a magical wonderland. She picked a bouquet of roses and marigolds, carefully arranging them in a basket to take home to her grandmother.

As Maya wandered deeper into the garden, she noticed a patch of bare earth tucked away in a corner. Curious, she approached it and saw a small, wilted plant struggling to grow. It looked sad and lonely amidst the vibrant blooms surrounding it.

Maya knelt down beside the plant and gently touched its drooping leaves. "What's wrong, little plant?" she asked softly. "Why aren't you blooming like the others?"

The plant seemed to perk up at Maya's touch, as if it could feel her kindness. It whispered back, "I need water and sunlight to grow, but no one has noticed me here in this corner."

Maya smiled and promised to take care of the plant. She fetched a watering can and showered the plant with fresh water, then moved it to a sunny spot where it could soak up the warm rays of the sun.

Days passed, and Maya tended to the plant with love and care. She watered it every day and made sure it got plenty of sunlight. Slowly but surely, the plant began to grow stronger. Its leaves perked up, and tiny buds appeared on its stems.

One morning, as Maya entered the garden, she was greeted by a breathtaking sight. The once-lonely plant was now covered in a profusion of beautiful flowers, each one more vibrant than the last. It had transformed into a magnificent display of color and beauty.

Maya gasped in awe and joy. She couldn't believe her eyes. The plant had finally bloomed, thanks to her love and care.

Overjoyed, Maya ran to her grandmother's house to share the wonderful news. Together, they returned to the garden and marveled at the sight of the blooming plant.

"You've done a wonderful thing, Maya," her grandmother said, smiling proudly. "You've shown that even the smallest and most neglected things can bloom with a little love and care."

From that day on, Maya's garden became even more magical. The flowers seemed to bloom brighter, and the air was filled with the sweet scent of jasmine and roses. And Maya learned that May flowers were not just beautiful to look at, but symbols of hope, love, and the magic of nature.

As the sun set over the hills, Maya sat in the garden, surrounded by flowers in full bloom. She felt grateful for the beauty that surrounded her and knew that her love for the garden would last a lifetime.

Amazing Facts

1. **Early hockey games allowed as many as 30 players a side on the ice.**
2. Most fleas do not live past a year old.
3. It takes seven to ten days to make a jelly belly jellybean.
4. Some asteroids have other asteroids orbiting them.
5. Maine is the only state whose name is just one syllable.
6. There is enough concrete in the Hoover Dam to pave a two lane highway from San Francisco to New York.
7. Every 238 years, the orbits of Neptune and Pluto change making Neptune at times the farthest planet from the sun.
8. There is a certain species of kangaroo that is only 2.5 centimetres long when it is born.
9. In a lifetime, the average house cat spends approximately 10,950 hours purring.
10. The real name of Toto the dog in "The Wizard Of Oz" was Terry.
11. Stannous fluoride, which is the cavity fighter found in toothpaste is made from recycled tin.
12. It takes 12 honeybees to make one teaspoon of honey.
13. Thomas Watson, who was the chairman of IBM in 1943 predicted that there would probably only be a world market for five computers.
14. The first lighthouse was in Alexandria in 290 B.C.
15. Nintendo was first establish in 1889 and they started out making special playing cards.
16. People over the age of fifty will start to lose their dislike for foods that taste bitter.
17. Elephants have been known to learn up to 60 commands.
18. Copper is the second most used metal in the world.
19. Milton Bradley originally wanted to name the game Twister, Pretzel; but he could not since the name was copyrighted.
20. According to studies, men prefer to have white bedrooms and women prefer to have blue bedrooms.
21. If someone was to fly once around the surface of the moon, it would be equal to a round trip from New York to London.
22. St. Patrick never really drove out any snakes from Ireland. This story was an analogy of how he drove paganism out of Ireland.
23. Fat is important for the development of children and normal growth.
24. The most common seasonings found in American homes are chili powder, cinnamon, and seasoned salts.
25. Montreal was named after a local mountain "Mont Royal."
26. In an average lifetime, a person will spend 4 years travelling in an automobile and six months waiting at a red light.
27. A small drip from a faucet can waste up to 50 gallons of water daily, which is enough water to run a dishwasher twice on a full cycle.
28. Kotex was first manufactured as bandages, during W.W.I.
29. The longest Monopoly game ever played was 1,680 hours long, which is seventy straight days.
30. The projection light used for IMAX theaters can be seen from space.

https://greatfacts.com/

1. What does the 'S' stand for in the SM intellectual property mark (for example) used in the US and many other countries? **Service**
2. Famously depicting the Norman Conquest of England, the Bayeux Tapestry is actually: Embroidered Cloth; A Tapestry; A Long Carpet; or Painted Fabric? **Embroidered Cloth**
3. What wheel-based metaphor commonly describes centralized transport and distribution systems, notably airports? **Hub and Spoke**
4. An ushanka is a Russian what? **Hat**
5. (Up to) what degree of Neanderthal DNA is found in modern non-African people: 0.01%; 0.1%; 1%; or 4%? **4%**
6. The 1930 Revolution of which country (the largest lusophone nation in the world) replaced Washington Luis with Getulio Vargas as President? **Brazil**
7. What is India's smallest state (by area)? **Goa**
8. What famous brand of heat-resistant wipe-clean plastic laminate was invented at and patented by Westinghouse in 1912? **Formica**
9. Scientists reported in 2012 what litter being used by Mexico City birds to reduce parasites in their nests: Bottle-tops; Cigarette-ends; Chewing-gum; or Taco-wrappers? **Cigarette-ends**
10. Nintendo's Wii console launched in 2012 is the: U; Mi; Hi; or Fi? **U**
11. Typically related to glass or crystal, the term dichroism refers to two or more what? **Colours/colors**
12. Largely Indian-owned corporation ArclelorMittal (a merger/ acquisition of the two names by the latter) is the world's biggest producer of: Steel; Paper; Rubber; or Honey? **Steel**
13. A censor was an officer of what civilization, responsible for public census, morality, finances, etc: Roman; Viking; Greek; or Mongol? **Roman**
14. What country has the internet top level domain .sa? **Saudi Arabia**
15. Spell: Resusitation, Recussitation, Rescusitation, Resuscitation ? **Resuscitation**
16. Tribology, the science of one surface sliding/moving against another (as in mechanical moving parts), involves what three principles or elemental aspects? **Friction, Lubrication, Wear**
17. Idiophones, membranophones, chordophones, aerophones and electrophones are the five main categories of a system for classifying what? **Musical instruments**
18. Name the eight member states of the Warsaw Pact treaty? **Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, East Germany, Hungary, Poland, Romania, Soviet Union**
19. '(What?) integration' refers to a corporation acquiring or otherwise taking control of connecting activity/ies in a supply chain: Horizontal; Parallel; Cellular; or Vertical? **Vertical**
20. The nitrite and nitrate ions respectively have the chemical formulae NO: 1 and 2; 2 and 3; 3 and 4; or 4 and 5? **2 and 3**

https://www.businessballs.com/quiz/quiz-131-general-knowledge/

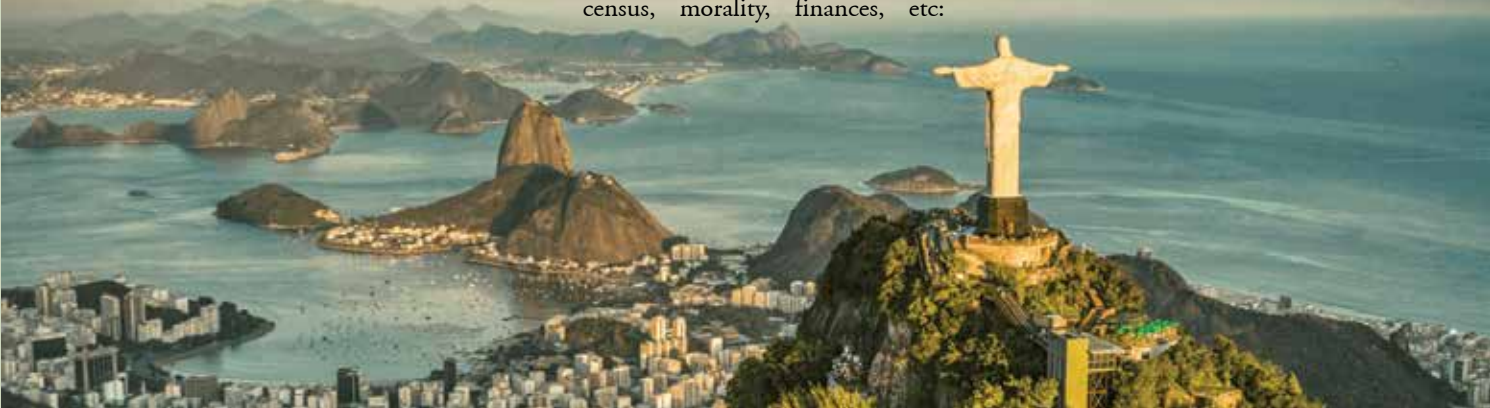

आदरणीय संपादक महोदय,

सप्रेम नमस्कार।

'शिक्षा सारथी' का गतांक पढ़ने का अवसर मिला। यह जानकर मन हर्षित हुआ कि हरियाणा के राजकीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने पर्वतारोहण में विश्व कीर्तिमान रचा है। पूरे देश में हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो अपने विद्यार्थियों को इस प्रकार की साहसिक गतिविधियों में भाग लेने के अवसर प्रदान कर रहा है। पत्रिका में प्रकाशित एक छात्रा के अनुभव पढ़कर मालूम हुआ कि उसने जीवन में कभी निकट से पर्वत को भी नहीं देखा था, अब उसने 'रिनॉक पीक एक्सपीडिशन' में भाग लेकर विश्व कीर्तिमान रचा है। साधारण परिवारों के बच्चों को इस तरह के अवसर प्रदान करना निश्चित तौर पर हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग की एक ऐसी पहल है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाये, कम है। 'सतत शैक्षिक विकास लक्ष्यों को पूर्ण करते पर्यावरण अध्ययन शिविर' लेख पढ़कर पता लगा कि प्रदेश में अब 21वीं शताब्दी की जीवनोपयोगी शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार करते हुए कक्षा-कक्ष शिक्षण के साथ-साथ विविध साहसिक गतिविधियों को स्कूली शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया गया है। 'बाल सारथी' में सदा की भाँति नन्हे बच्चों के लिए मनोरंजन व ज्ञान से भरपूर सामग्री थी। संपूर्ण संपादक मंडल को बधाई।

नसीन बानो
टीजीटी गणित
राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सैक्टर-25 पंचकूला

आदरणीय संपादक जी,

नमस्कार।

'शिक्षा सारथी' का पिछला अंक पढ़ा। विभाग की अनेक सूचनाओं, गतिविधियों के ब्यौरे के साथ-साथ नवाचारी गतिविधियों के लेख व साहित्यिक सामग्री को देखकर मन प्रसन्न हो गया। सचमुच विभाग के द्वारा बड़ी मेहनत और सूझबूझ से पत्रिका के लिए सामग्री का संकलन किया जाता है। हरियाणा में 'यूथ एवं इको क्लबों' के अन्तर्गत चलाई जा रही गतिविधियों पर केंद्रित पत्रिका के गतांक में विशदता से जानकारी दी गई कि किस प्रकार इन क्लबों के माध्यम से विद्यार्थियों की नेतृत्व क्षमता विकसित करते हुए, जीवन कौशलों की शिक्षा देते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है और उन्हें पर्यावरण, जैव-विविधता, जलवायु, स्थानीय पारिस्थितिकी, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। संदीप कुमार का यात्रा-वृत्तांत इतना रोचक था कि ऐसा लगा कि हम स्वयं पर्वतारोहण अभियान का हिस्सा बन गए हैं। अंत में विद्यालय शिक्षा विभाग व संपादक मंडल को एक श्रेष्ठ पत्रिका के प्रकाशन के लिए बहुत-बहुत बधाई।

अंशुल
पीजीटी अंग्रेजी
राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय
नलवा, हिसार

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
National Commission for Protection of Child Rights

लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) Act, 2012

इस कानून के तहत अपराध माना गया है:-

- बच्चों का यौन शोषण करना या करवाना,
- यौन उत्पीड़न का प्रयास करना या करवाना,
- अश्लील साहित्य हेतु बच्चों का उपयोग करना या करवाना,
- बच्चों के निजी अंगों को छूना या बड़ों द्वारा निजी अंगों को बच्चों से छुआना।

यह अपराध और ज्यादा गंभीर माना गया है-

- जब यह अपराध बच्चों के संरक्षक (जैसे उनकी देखभाल करने वाली संस्था का कोई भी व्यक्ति, लोक सेवक, पुलिस बल या शैक्षणिक संस्था के व्यक्ति आदि) द्वारा किया जाता है तो उसे आजीवन कारावास या कम से कम 10 वर्ष तक की कैद हो सकती है।
- ऐसी घटनाओं को छुपाना या सूचना न देना भी अपराध माना गया है और जिसमें 6 माह से 1 वर्ष तक की कैद का भी कानूनी प्रावधान है।

ऐसी घटनाओं से बच्चों को बहुत मानसिक आघात
पहुँचता है और वह उम्र भर इस पीड़ा का सामना करते हैं।
ऐसी घटनाओं को रोकने में मददगार बनें और निकटतम
पुलिस थाने के 112 नम्बर पर या Childline के 1098 पर सूचना दें।

5th Floor Chanderlok Building, 36 Janpath, New Delhi-110001
Ph: 011-23478200, 23724020, Fax: 011-23724026
Web: www.ncpcr.gov.in, Lodge your complaint at : www.ebaalnidan.nic.in

follow us:

@NCPCR_ /NCPCR.Official /channel/NCPCR

RNI NO: HARBIL/2012/52385

POSTAL REGD NO: HR/AB-102/23-25

Samagra Shiksha
Department of School Education and Literacy
Government of India

unicef
for every child

सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श का भेद जानें.... आइये, हम इसे प्रकृति से पहचानें

सुरक्षित स्पर्श कैसा होता है?

खुशी, सम्मान व सुरक्षा देने वाला

असुरक्षित स्पर्श कैसा होता है?

अनचाहा, डरावना व परेशान करने वाला

असुरक्षित स्पर्श का सामना कैसे करें?

'नहीं' मतलब नहीं

आप अपने शरीर के स्वयं मालिक हैं।

याद रखिए, ये गलती आपकी नहीं, बल्कि उसकी है, जो आप को गलत ढंग से छूता है।

आपकी सुरक्षा के लिए अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति को इसके बारे में बताएँ
या निम्नलिखित संस्थाओं को नीचे दिये गये संपर्क पर रिपोर्ट करें

चाइल्ड हेल्प लाइन **1098** | पुलिस **100** | राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग पोक्सो E-Box **1800-115-455** | हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग **097800 52409**

If undelivered Please return to c/o Shiksha Saarthi Branch, 3rd Floor, Shiksha Sadan, Sector-5, Panchkula(HR)-134114